

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या : क0नि0-2-260 / ग्यारह-9(295) / 07-उ0प्र0अधि0-5-2008-
वैट नियमावली-08- आदेश-(40)- 2009
लखनऊ:: दिनांक :: 30 जनवरी, 2009

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 5 सन् 2008) की धारा-79 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं,

चूँकि राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी है अतएव राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा-79 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन बिना पूर्व प्रकाशन के उपर्युक्त नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009

- | | | | | |
|---------------------------|----|---|-----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जाएगी। | (2) | यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। |
| नियम 2 का संशोधन | 2. | उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में, उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :- | | |
| | | स्तम्भ-1
विद्यमान खण्ड | | स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
| | | (द) "सम्भाग" का तात्पर्य संयुक्त कमिश्नर(कार्यपालक) की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से है जिसमें लगभग दस खण्ड हैं। | | (द) "सम्भाग" का तात्पर्य संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक) या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिश्नर (प्रवर्तन) की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र से है जिसमें लगभग दस खण्ड हैं या ऐसे क्षेत्र से है, जिसे नियम 3 के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय। |
| नियम 3 का संशोधन | 3. | उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- | | |
| | | स्तम्भ-1
विद्यमान उपनियम | | स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम |
| | | (3)- जहाँ एक से अधिक निम्नलिखित अधिकारी तैनात है, वहाँ कमिश्नर द्वारा; सम्भाग में अपर कमिश्नर, या संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) या | | (3)- जहाँ एक से अधिक निम्नलिखित अधिकारी तैनात है, वहाँ कमिश्नर द्वारा; सम्भाग में अपर कमिश्नर (अपील), संयुक्त कमिश्नर (विशेष अनुसंधान |

संयुक्त कमिशनर (प्रर्वतन), संयुक्त कमिशनर (कार्यपालक), किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिशनर (कर निर्धारण); क्षेत्र के उप कमिशनर, सहायक कमिशनर या वाणिज्य कर अधिकारी की अधिकारिता का निर्धारण किया जायेगा -

शाखा) या संयुक्त कमिशनर (प्रर्वतन) **या संयुक्त कमिशनर (अपील)** या संयुक्त कमिशनर (कार्यपालक) या किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिशनर (कर निर्धारण); क्षेत्र के उप कमिशनर, सहायक कमिशनर या वाणिज्य कर अधिकारी की अधिकारिता का निर्धारण किया जायेगा -

- (क) किसी परि सम्भाग में अपर कमिशनर या संयुक्त कमिशनर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिशनर (प्रर्वतन), सम्भाग में संयुक्त कमिशनर (अपील), संयुक्त कमिशनर (कार्यपालक), किसी कारपोरेट मण्डल में संयुक्त कमिशनर (कर निर्धारण); या; (क) किसी सम्भाग में अपर कमिशनर **(अपील)**, संयुक्त कमिशनर (विशेष अनुसंधान शाखा) या संयुक्त कमिशनर (प्रर्वतन), संयुक्त कमिशनर (अपील), संयुक्त कमिशनर (कार्यपालक), संयुक्त कमिशनर (कार्यपालक),
- (ख) किसी क्षेत्र में उप कमिशनर (जाँच चौकी); उप कमिशनर (प्रर्वतन) या उप कमिशनर (विशेष अनुसंधान शाखा) ; या (ख) किसी परिसम्भाग में उप कमिशनर (जाँच चौकी); उप कमिशनर (प्रर्वतन) या उप कमिशनर (विशेष अनुसंधान शाखा); या
- (ग) किसी क्षेत्र में उप कमिशनर (कर निर्धारण) सहायक कमिशनर (कर निर्धारण) या वाणिज्य कर अधिकारी स्पष्टीकरण - उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिकारियों की अधिकारिता अवधारित करने में कमिशनर यह विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि किसी अधिकारी की अधिकारिता ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग पर रहेगी, और जब तक इस विनिर्देश से अन्यथा कोई अन्य निर्देश नहीं किए जाए तब तक उस अधिकारी या उसके प्रतिस्थापनी अधिकारी की अधिकारिता उन व्यवहारी पर बनी रहेगी और प्रतिस्थापनी अधिकारी प्रकरण का निस्तारण उसी स्तर से प्रारम्भ कर सकता है जिस स्तर पर पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़ा गया था। (ग) किसी क्षेत्र में उप कमिशनर (कर निर्धारण) सहायक कमिशनर (कर निर्धारण) या वाणिज्य कर अधिकारी स्पष्टीकरण - उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिकारियों की अधिकारिता अवधारित करने में कमिशनर यह विनिर्दिष्ट कर सकते हैं कि किसी अधिकारी की अधिकारिता ऐसे व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग पर रहेगी, और जब तक इस विनिर्देश से अन्यथा कोई अन्य निर्देश नहीं किए जाए तब तक उस अधिकारी या उसके प्रतिस्थापनी अधिकारी की अधिकारिता उन व्यवहारी पर बनी रहेगी और प्रतिस्थापनी अधिकारी प्रकरण का निस्तारण उसी स्तर से प्रारम्भ कर सकता है जिस स्तर पर पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़ा गया था।

नियम 4 का संशोधन 4.

उक्त नियमावली में, नियम 4 में विद्यमान उप नियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बड़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

- (11) किसी अन्य नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वाहन करने में असमर्थ हो या किसी अपर कमिशनर, संयुक्त कमिशनर, कार्यालय में कोई रिक्ति होने की स्थिति में कमिशनर को यह अधिकारी होगा कि वह आदेश में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अपर कमिशनर और संयुक्त कमिशनर को समनुदेशित कृत्यों

का निर्वहन अन्य अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर को करने के लिए प्राधिकृत करें। इस उपनियम के अधीन कोई आदेश जारी किए जाने पर अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर, जिसके पक्ष में ऐसा प्राधिकार किया गया हो, को ऐसे कार्यालय में अधिकारिता रखने वाले यथास्थिति, अपर कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर की समस्त शक्तियां होंगी।

नियम 16 का
संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नियम 16 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

- (2) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि व्यवहारी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र सही है, वह धारा 17 की उपधारा-11 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करके व्यवहारी को सूचित करेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

- (2) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि प्रार्थना पत्र में दी गयी सूचना सही है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (11) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है और तदनुसार व्यवहारी को सूचित करेगा।

नियम 20 का
संशोधन

6. उक्त नियमावली में, नियम 20 में, विद्यमान उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बड़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

- (5) उपनियम (2) के खण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में,

(क) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि दी गयी सूचना सही एवं पूर्ण है तो वह उपनियम (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन यथा उपबंधित कार्यसूची प्रस्तुत करने के लिए विहित अन्तिम दिनांक से एक माह के अवसान के पूर्व अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार उत्कृष्ट इन्पुट टैक्स की संगणना करते हुए आदेश पारित करेगा। इस प्रकार पारित आदेश की प्रति व्यवहारी को तामील की जाएगी।

(ख) अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि दी गयी सूचना असत्य और अपूर्ण या अविश्वसनीय है या कोई कार्यसूची प्रस्तुत नहीं की गयी है, तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार उत्कृष्ट इन्पुट टैक्स की संगणना करते हुए आदेश पारित करेगा। इस प्रकार पारित आदेश की प्रति व्यापारी को तामील की जाएगी।

(ग) कर निर्धारक प्राधिकारी उत्कृष्ट इन्पुट टैक्स की धनराशि इन्पुट टैक्स क्रेडिट के खाते में जमा करेगा और अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का खाता शून्य या ऋणात्मक अंक दर्शाता हो तो वह खण्ड (क) या (ख) के अधीन पारित उत्कृष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के आदेश सहित माँग की नोटिस तामील करेगा और उक्त अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार उत्कृष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि वसूल करेगा।

- (6) उपनियम (1) के खण्ड (ख) और उपनियम (2) के खण्ड (ग) के संबंध में, -

(क) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उपलब्ध करायी गयी सूचना सही और पूर्ण है तो वह उक्त अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की संगणना करते हुए आदेश पारित करेगा। इस प्रकार पारित आदेश की प्रति, ऐसे स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रथम किश्त का दावा करने के लिए विहित अन्तिम तिथि समाप्त होने के पूर्व व्यवहारी को कर अवधि की विवरणी में तामील की जाएगी।

(ख) अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर यदि कर निर्धारक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपलब्ध करायी गयी सूचना असत्य और अपूर्ण या

अविश्वसनीय हो तो वह, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात उक्त अधिनियम और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की संगणना करते हुए आदेश पारित करेगा। इस प्रकार पारित किये गये आदेश की प्रति, स्टॉक में इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रथम किश्त का दावा करने के लिए विहित अंतिम तिथि समाप्त होने के पूर्व कर अवधि की विवरणी में व्यवहारी को तामील की जाएगी।

(ग) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी विहित अवधि अंतर्गत उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) के अधीन समुचित आदेश पारित करने में विफल रहता है तो व्यवहारी नियम-24 के अधीन यथा उपबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। तथापि, यदि आदेश पारित किये जाने पर दावा सही नहीं पाया जाता है या दावा कम धनराशि के लिए पाया जाता है तो व्यवहारी अधिनियम की धारा-14 के अधीन उपबंधित ब्याज सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट की दावे की अतिरिक्त धनराशि को जमा करेगा।

नियम 21 का
संशोधन

7. उक्त नियमावली में, नियम 21 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-I

विद्यमान नियम

21 (1) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है जो :-

- (क) राज्य के बाहर के किसी स्थान के व्यवहारी से प्राप्त अथवा खरीदी गयी है, चाहे वह स्थान भारत की सीमा के भीतर या बाहर हो ;
- (ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 अथवा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत कर का भुगतान किए बिना खरीदी गई है ;
- (ग) जिन व्यवहारियों पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से है उनके द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने का दिनांक के छह माह से पूर्व की किसी दिनांक में क्रय की गई हो।
- (घ) जिन व्यवहारियों पर कर का दायित्व, अधिनियम प्रारम्भ होने के बाद की किसी दिनांक से है, उनके द्वारा कर दायी होने के दिनांक के 6 माह पूर्व की किसी दिनांक में क्रय की गई है।
- (ङ) जिन व्यवहारियों पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से है और उनके द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह की

स्तम्भ-II

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

21 (1) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है जो :-

- (क) राज्य के बाहर के किसी स्थान के व्यवहारी से प्राप्त अथवा खरीदी गयी है, चाहे वह स्थान भारत की सीमा के भीतर या बाहर हो ;
- (ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 अथवा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत कर का भुगतान किए बिना खरीदी गई है ;
- (ग) जिन व्यवहारियों पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से है उनके द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने का दिनांक के छह माह से पूर्व की किसी दिनांक में क्रय की गई हो।
- (घ) जिन व्यवहारियों पर कर का दायित्व, अधिनियम प्रारम्भ होने के बाद की किसी दिनांक से है, उनके द्वारा कर दायी होने के दिनांक के 6 माह पूर्व की किसी दिनांक में क्रय की गई है।
- (ङ) जिन व्यवहारियों पर कर दायित्व अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से है और उनके द्वारा अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले के दिन को समाप्त होने वाली 6 माह

अवधि में वस्तु प्रान्त भीतर से खरीदी गयी है परन्तु इस खरीद के लिए पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी क्रय बीजक नहीं है।

(च) जो व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद की किसी दिनांक में करयोग्य हुए हैं और उनके द्वारा कर योग्य होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह, की अवधि की किसी दिनांक में प्रान्त अन्दर से खरीद की है, परन्तु इस खरीद के लिए पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री बीजक, जिसमें क्रेता व्यवहारी का नाम एवम पूरा पता लिखा हो, क्रेता व्यवहारी के पास नहीं है ;

(छ) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि में व्यवहारी द्वारा प्रान्त भीतर से की गयी ऐसी खरीद जिस पर इन व्यवहारी का कर दायित्व उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में हो, परन्तु व्यवहारी यह प्रमाणित ना कर सकते हो कि इस वस्तु की खरीद पर क्रय कर जमा किया है ;

(ज) ऐसे व्यवहारी जिन पर अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से कर दायित्व है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि में की गयी ऐसी खरीदे जिन पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में कर का आपात नहीं हुआ है ; या

(झ) टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त क्रय की गई ऐसी वस्तुएँ जिनके टैक्स इनवाइस प्राप्त नहीं किया है ;

(ञ) व्यवहारी द्वारा क्रय की गयी ऐसी वस्तुएँ जिन के टैक्स इनवाइस की

की अवधि में वस्तु प्रान्त भीतर से खरीदी गयी है परन्तु इस खरीद के लिए पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी क्रय बीजक नहीं है।

(च) जो व्यवहारी अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद की किसी दिनांक में करयोग्य हुए हैं और उनके द्वारा कर योग्य होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह, की अवधि की किसी दिनांक में प्रान्त अन्दर से खरीद की है, परन्तु इस खरीद के लिए पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री बीजक, जिसमें क्रेता व्यवहारी का नाम एवम पूरा पता लिखा हो, क्रेता व्यवहारी के पास नहीं है ;

(छ) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि में व्यवहारी द्वारा प्रान्त भीतर से की गयी ऐसी खरीद जिस पर इन व्यवहारी का कर दायित्व उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 में हो, परन्तु व्यवहारी यह प्रमाणित ना कर सकते हो कि इस वस्तु की खरीद पर क्रय कर जमा किया है ;

(ज) ऐसे व्यवहारी जिन पर अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से कर दायित्व है, के द्वारा प्रान्त के भीतर से अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले का दिन में समाप्त होने वाली 6 माह की अवधि में की गयी ऐसी खरीदे जिन पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम में कर का आपात नहीं हुआ है ; या

(झ) टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त क्रय की गई ऐसी वस्तुएँ जिनके टैक्स इनवाइस प्राप्त नहीं किया है ;

(ञ) व्यवहारी द्वारा क्रय की गयी ऐसी वस्तुएँ जिन के टैक्स इनवाइस की

- मूल प्रति नहीं है और यह खरीदे विक्रेता व्यवहारी के टैक्स रिटर्न के साथ दाखिल सूची से सत्यापित नहीं होती है ; या
- (ट) व्यवहारी द्वारा कर दायित्व प्रारम्भ होने के दिनांक से आरम्भ तथा टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होने के दिनांक को समाप्त होने वाली आवधि के मध्य में की गई ऐसी खरीदे, जिसके लिए विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री इनवाइस पर क्रेता व्यवहारी का नाम वा पूरा पता लिखा हो, नहीं है; या
- (ठ) नान वैंट वस्तुओं के अतिरिक्त ऐसी अन्य कर योग्य वस्तुएं जिनकी बिक्री पर क्रेता व्यवहारी का कर दायित्व नहीं हो ; या
- (ड) व्यवहारी का पंजीयन निरस्त होने के उपरान्त की गयी खरीदे ; या
- (ढ) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) के प्राविधानों के अनुसार जो वस्तुएं पूँजी माल है, और ऐसे पूँजी माल -
(एक) व्यवहारी ने कर दायित्व से पूर्व की किसी दिनांक में खरीदा है ;
(दो) व्यवहारी ने खरीद के उपरान्त कर मुक्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की है और इस प्रकार निर्मित कर मुक्त वस्तु का निर्यात भारत की सीमा के बाहर नहीं किया है ; या
- (ण) ऐसे पूँजी माल जो धारा-2 के खण्ड (2) के प्राविधान के अनुसार धारा 13 में पूँजी माल नहीं माने गये है ।
- (त) कैपिटिव पावर प्लान्ट या कैपिटिव पावर प्लान्ट के भाग, पुर्जे या उपस्कर ; या
- (थ) अनुसूची चार के स्तम्भ (2) में वर्णित कर योग्य वस्तुएं ;
- (द) सकर्म सविंदा के निष्पादन में
- मूल प्रति नहीं है और यह खरीदे विक्रेता व्यवहारी के टैक्स रिटर्न के साथ दाखिल सूची से सत्यापित नहीं होती है ; या
- (ट) व्यवहारी द्वारा कर दायित्व प्रारम्भ होने के दिनांक से आरम्भ तथा टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर प्राप्त होने के दिनांक को समाप्त होने वाली आवधि के मध्य में की गई ऐसी खरीदे, जिसके लिए विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी बिक्री इनवाइस पर क्रेता व्यवहारी का नाम वा पूरा पता लिखा हो, नहीं है; या
- (ठ) नान वैंट वस्तुओं के अतिरिक्त ऐसी अन्य कर योग्य वस्तुएं जिनकी बिक्री पर क्रेता व्यवहारी का कर दायित्व नहीं हो ; या
- (ड) व्यवहारी का पंजीयन निरस्त होने के उपरान्त की गयी खरीदे ; या
- (ढ) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) के प्राविधानों के अनुसार जो वस्तुएं पूँजी माल है, और ऐसे पूँजी माल -
(एक) व्यवहारी ने कर दायित्व से पूर्व की किसी दिनांक में खरीदा है ;
(दो) व्यवहारी ने खरीद के उपरान्त कर मुक्त वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग की है और इस प्रकार निर्मित कर मुक्त वस्तु का निर्यात भारत की सीमा के बाहर नहीं किया है ; या
- (ण) ऐसे पूँजी माल जो धारा-2 के खण्ड (2) के प्राविधान के अनुसार धारा 13 में पूँजी माल नहीं माने गये है ।
- (त) निकाल दिया गया
- (थ) अनुसूची चार के स्तम्भ (2) में वर्णित कर योग्य वस्तुएं ;
- (द) सकर्म सविंदा के निष्पादन में व्यवहारी द्वारा प्रयोग किए गए भारी अर्थमूवर्स या पूँजी माल ; या

- व्यवहारी द्वारा प्रयोग किए गए भारी अर्थमूवर्स या पूंजी माल ; या
- (ध) यात्रियो या सामान या दोनो को ढोने वाले मोटर वाहन या अन्य वाहन ; या
- (न) फैक्टरी या वर्कशाप के एअर कूलर, एअर कन्डीशनर्स, बिजली के पंखे, हीटर, एअर सर्कुलेटर, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर जो बिक्री हेतु वस्तुओ के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग कार्य से सम्बन्धित न हो ; या
- (प) सिविल कन्स्ट्रक्शन वर्क को निष्पादित करने के लिए व्यवहारी द्वारा कार्यालय निर्माण मे प्रयोग की गई सामग्री, या फर्नीचर, फिटिंग्स, कार्यालय उपकरण, एअर कूलर, एअर कन्डीशनर, बिजली के पंखे, हीटर, एअर सर्कुलेटर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित न हो; या
- (फ) ऐसी वस्तुएं, जिस पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है, के अनुरक्षण, मरम्मत या चालू रखने के लिए, उपयोग किये गये पुर्जे, घटक,उपसाधन या कन्ज्यूमेबिल; या
- (ब) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि प्रारम्भ होने के दिन व्यवहारी के द्वारा धारित आरम्भिक रहलिए की वे वस्तुएं, जो जिस दशा और स्थिति मे खरीदी गई थी उसी दशा और स्थिति मे है ; या
- (भ) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि प्रारम्भ होने के दिन आरम्भिक रहलिए मे व्यवहारी द्वारा धारित तैयार माल या अर्धनिर्मित माल के निर्माण अथवा प्रसंस्करण, या पैकिंग के लिए प्रयोग या खपत गई वस्तुएं ; या
- (म) कारबार बन्द होने के दिनांक मे व्यवहारी के द्वारा अन्तिम रहलिए मे धारित वह वस्तुएं जो जिस दशा
- (ध) यात्रियो या सामान या दोनो को ढोने वाले मोटर वाहन या अन्य वाहन; या
- (न) फैक्टरी या वर्कशाप के एअर कूलर, एअर कन्डीशनर्स, बिजली के पंखे, हीटर, एअर सर्कुलेटर, वाटर कूलर, वाटर प्यूरीफायर जो बिक्री हेतु वस्तुओ के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग कार्य से सम्बन्धित न हो ; या
- (प) सिविल कन्स्ट्रक्शन वर्क को निष्पादित करने के लिए व्यवहारी द्वारा कार्यालय निर्माण मे प्रयोग की गई सामग्री, या फर्नीचर, फिटिंग्स, कार्यालय उपकरण, एअर कूलर, एअर कन्डीशनर, बिजली के पंखे, हीटर, एअर सर्कुलेटर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर जो निर्माण कार्य से सम्बन्धित न हो; या
- (फ) ऐसी वस्तुएं, जिस पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है, के अनुरक्षण, मरम्मत या चालू रखने के लिए, उपयोग किये गये पुर्जे, घटक,उपसाधन या कन्ज्यूमेबिल; या
- (ब) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि प्रारम्भ होने के दिन व्यवहारी के द्वारा धारित आरम्भिक रहलिए की वे वस्तुएं, जो जिस दशा और स्थिति मे खरीदी गई थी उसी दशा और स्थिति मे है ; या
- (भ) धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि प्रारम्भ होने के दिन आरम्भिक रहलिए मे व्यवहारी द्वारा धारित तैयार माल या अर्धनिर्मित माल के निर्माण अथवा प्रसंस्करण, या पैकिंग के लिए प्रयोग या खपत गई वस्तुएं ; या
- (म) कारबार बन्द होने के दिनांक मे व्यवहारी के द्वारा अन्तिम रहलिए मे धारित वह वस्तुएं जो जिस दशा एवं स्थिति मे खरीदी गई थी उसी

- एवं स्थिति मे खरीदी गई थी उसी दशा एवं स्थिति मे है ; या
- (य) कारबार बन्द होने पर व्यवहारी के पास अन्तिम स्टाक मे धारित निर्मित या अर्धनिर्मित, सामान के निर्माण या प्रसंस्करण मे उपयोग या खपत हुआ अथवा इस प्रकार निर्मित, प्रसंस्कृत माल की पैकिंग मे उपयोग या खपत हुई वस्तुए ; या
- (कक) किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाली वस्तु की पैकिंग हेतु प्रयोग या खपत हुई वस्तुए ; या
- (कख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए वस्तु के निर्माण अथवा प्रसंस्करण मे प्रयोग या खपत हुआ या ऐसे निर्मित, प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग अथवा खपत की गई वस्तु ; या
- (कग) नान वैट गुड्स के अतिरिक्त किसी अन्य कर योग्य वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग में अथवा ऐसे अन्य निर्मित वस्तु की बिक्री, जिसकी खरीद पर क्रेता का कर दायित्व नहीं है, मे खपत या प्रयोग हुई वस्तु ; या
- (कघ) धारा 6 की समाधान अवधि में वस्तु की पुनः बिक्री करने पर ; या
- (कड) वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण मे प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु धारा 6 मे समाधान की अवधि मे बेची गई है ; या
- (कच) उपहार मे दी गई या अन्य प्रकार से बिना मूल्य लिए बाँटी गई या खो गई या नष्ट अथवा चोरी हो गई है ; या
- (कछ) किसी निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग या खपत हुआ सामान, जिसको निर्माण या प्रसंस्करण के उपरान्त उपहार मे
- दशा एवं स्थिति मे है ; या
- (य) कारबार बन्द होने पर व्यवहारी के पास अन्तिम स्टाक मे धारित निर्मित या अर्धनिर्मित, सामान के निर्माण या प्रसंस्करण मे उपयोग या खपत हुआ अथवा इस प्रकार निर्मित, प्रसंस्कृत माल की पैकिंग मे उपयोग या खपत हुई वस्तुए ; या
- (कक) किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व वाली वस्तु की पैकिंग हेतु प्रयोग या खपत हुई वस्तुए ; या
- (कख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए वस्तु के निर्माण अथवा प्रसंस्करण मे प्रयोग या खपत हुआ या ऐसे निर्मित, प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग अथवा खपत की गई वस्तु ; या
- (कग) नान वैट गुड्स के अतिरिक्त किसी अन्य कर योग्य वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग में अथवा ऐसे अन्य निर्मित वस्तु की बिक्री, जिसकी खरीद पर क्रेता का कर दायित्व नहीं है, मे खपत या प्रयोग हुई वस्तु ; या
- (कघ) धारा 6 की समाधान अवधि में वस्तु की पुनः बिक्री करने पर ; या
- (कड) वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण मे प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु धारा 6 मे समाधान की अवधि मे बेची गई है ; या
- (कच) उपहार मे दी गई या अन्य प्रकार से बिना मूल्य लिए बाँटी गई या खो गई या नष्ट अथवा चोरी हो गई है ; या
- (कछ) किसी निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग मे प्रयोग या खपत हुआ सामान, जिसको निर्माण या प्रसंस्करण के उपरान्त उपहार मे

- दिया गया, या बिना मूल्य लिए बॉट दिया गया या खो गया या विनष्ट हो गया अथवा चोरी हो गया हो ; या
- (कज) खरीद का दिनांक के 6 माह के भीतर विक्रेता व्यवहारी को वापस कर दिया हो ; या
- (कझ) किसी करमुक्त वस्तु की पैकिंग में प्रयोग किया गया हो और वह करमुक्त वस्तु भारत की सीमा के बाहर निर्यात न की गई हो ; या
- (कञ) किसी करमुक्त वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण में या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग में प्रयोग किया गया है, जिसे निर्माण प्रसंस्करण या पैकिंग के बाद भारत के बाहर निर्यात न करके अन्य प्रकार से निस्तारित किया गया है; या
- (कट) नान वैट वस्तु के निर्माण, या प्रसंस्करण या पैकिंग में प्रयोग या खपत किया गया हो ; या
- (कठ) वह अन्य वस्तुएं जिनके सम्बन्ध में या अन्य परिस्थितियों में, अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- (2) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन्हें :-
- (क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रूप एवं दशा में पारेषित किया गया है, जिस रूप व दशा में खरीदा गया था;
- (ख) किसी ऐसे कर योग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग में प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र $\{ \text{पी} \times \text{आर} / 100 \}$ का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के अंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नहीं है :- जहाँ :-
- दिया गया, या बिना मूल्य लिए बॉट दिया गया या खो गया या विनष्ट हो गया अथवा चोरी हो गया हो; या
- (कज) खरीद का दिनांक के 6 माह के भीतर विक्रेता व्यवहारी को वापस कर दिया हो ; या
- (कझ) किसी करमुक्त वस्तु की पैकिंग में प्रयोग किया गया हो और वह करमुक्त वस्तु भारत की सीमा के बाहर निर्यात न की गई हो ; या
- (कञ) किसी करमुक्त वस्तु के निर्माण या प्रसंस्करण में या इस प्रकार निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु की पैकिंग में प्रयोग किया गया है, जिसे निर्माण प्रसंस्करण या पैकिंग के बाद भारत के बाहर निर्यात न करके अन्य प्रकार से निस्तारित किया गया है; या
- (कट) नान वैट वस्तु के निर्माण, या प्रसंस्करण या पैकिंग में प्रयोग या खपत किया गया हो ; या
- (कठ) वह अन्य वस्तुएं जिनके सम्बन्ध में या अन्य परिस्थितियों में, अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- (2) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन्हें :-
- (क) प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर उसी रूप एवं दशा में पारेषित किया गया है, जिस रूप व दशा में खरीदा गया था;
- (ख) किसी ऐसे कर योग्य माल के निर्माण या प्रसंस्करण अथवा ऐसी वस्तु की पैकिंग में प्रयोग या खपत हुआ हो, जिसे प्रान्त बाहर बिक्री न करके अन्य प्रकार से प्रान्त बाहर पारेषित किया गया हो, सूत्र $\{ \text{पी} \times \text{आर} / 100 \}$ का प्रयोग करके इन्पुट टैक्स क्रेडिट के अंशिक भाग का लाभ दिया जाना अनुमन्य नहीं है :- जहाँ :-

(एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है।

(दो) "आर" का तात्पर्य केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित कर की दर है।

- (3) वस्तु की वास्तविक खरीद किए बगैर प्राप्त की गई टैक्स इन्वाइस या बिक्री इन्वाइस के आधार पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (4) जिस धनराशि के लिए विक्रेता व्यवहारी से क्रेता व्यवहारी को क्रेडिट नोट मिला है, उस धनराशि पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (5) यदि व्यवहारी विहित समय एवं विहित प्रारूप में स्टॉक की सूची दाखिल करने में असफल रहता है तब स्टॉक पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
- (6) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा-तीन (ज) के अन्तर्गत देय या दिया गया विकास कर पर किसी भी प्रकरण या परिस्थितियों में इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (7) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक में खरीदी गई ऐसी वस्तुएं, जो अधिनियम में करमुक्त हैं, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (8) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में आरम्भिक रहतियों में धारित वस्तुओं, जिन पर व्यवहारी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 7 (घ) के अन्तर्गत समाधान विकल्प का लाभ लिया है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (9) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में आरम्भिक रहतियों में धारित वस्तुएं, जिनकी खरीद अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व में की गई है, और जिनकी खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के

(एक) "पी" का तात्पर्य पारेषित की गई, या प्रयुक्त या खपत की गई वस्तु का क्रय मूल्य है।

(दो) "आर" का तात्पर्य केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित कर की दर है।

- (3) वस्तु की वास्तविक खरीद किए बगैर प्राप्त की गई टैक्स इन्वाइस या बिक्री इन्वाइस के आधार पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (4) जिस धनराशि के लिए विक्रेता व्यवहारी से क्रेता व्यवहारी को क्रेडिट नोट मिला है, उस धनराशि पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (5) यदि व्यवहारी विहित समय एवं विहित प्रारूप में स्टॉक की सूची दाखिल करने में असफल रहता है तब स्टॉक पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
- (6) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा-तीन (ज) के अन्तर्गत देय या दिया गया विकास कर पर किसी भी प्रकरण या परिस्थितियों में इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (7) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक में खरीदी गई ऐसी वस्तुएं, जो अधिनियम में करमुक्त हैं, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (8) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में आरम्भिक रहतियों में धारित वस्तुओं, जिन पर व्यवहारी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 7 (घ) के अन्तर्गत समाधान विकल्प का लाभ लिया है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।
- (9) अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक में आरम्भिक रहतियों में धारित वस्तुएं, जिनकी खरीद अधिनियम प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व में की गई है, और जिनकी खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के

खण्ड(ग) में कर मुक्ति का लाभ लिया गया है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।

खण्ड(ग) में कर मुक्ति का लाभ लिया गया है, पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं है।

- (10) यदि व्यवहारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 के खण्ड(ग) के उपबंध की प्रसुविधा का उपभोग किया है तो विक्रय हेतु चावल के विनिर्माण में प्रयुक्त धान के मामले में इन्पुट टैक्स की धनराशि पर कोई क्रेडिट अनुमन्य नहीं होगा।
- (11) माल का कय करने पर इन्पुट टैक्स की धनराशि पर कोई क्रेडिट अनुमन्य नहीं होगा। और कोई क्रेडिट प्रारम्भिक स्टॉक में उस दिनांक को धारित नहीं किया जाएगा जिस दिनांक को ऐसा माल उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन मुक्त घोषित किया गया हो या ऐसी वस्तुयें अनुसूची-एक में सम्मिलित की गयी हों।
- (12) ऐसे मूल्य संवर्धित कर वाली वस्तुयें, जिनका विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को किया गया हो और ऐसे विक्रय हेतु रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी ने कर बीजक जारी न किया हो, के संबंध में इन्पुट टैक्स की धनराशि पर कोई क्रेडिट अनुमन्य नहीं होगा।

नियम 24 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नियम 24 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड(क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तों में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किस्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि में किया जाएगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(क) निर्माण में प्रयोग होने वाले पूँजी माल के इन्पुट टैक्स की धनराशि के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट का दावा तीन बराबर धनराशि की वार्षिक किस्तों में कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार की प्रथम किस्त का दावा, जिस कर निर्धारण वर्ष में पूँजी माल की खरीद की गई है उससे अगले कर निर्धारण वर्ष के प्रथम टैक्स अवधि के टैक्स रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया जाएगा तथा अगली किस्तों का दावा अगले कर निर्धारण वर्षों के प्रथम टैक्स अवधि में किया जाएगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्मित वस्तुएँ

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निर्मित वस्तुएँ अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त है और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग प्रकार से निस्तारित किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किस्त का दावा आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यवहारी को उसी सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा जिस अनुपात में भारत की सीमा से बाहर वस्तु का निर्यात हुआ है।

अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त है और इस प्रकार निर्मित वस्तुओं को अलग-अलग प्रकार से निस्तारित किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किस्त का दावा आंशिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यवहारी को उसी सीमा तक अनुमन्य किया जाएगा जिस अनुपात में भारत की सीमा से बाहर वस्तु का निर्यात हुआ है।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि प्रग्रहणीय विद्युत संयंत्र के मामले में, जहाँ विद्युत ऊर्जा का प्रतिशत उपभोग नब्बे प्रतिशत से कम हों वहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के किस्त की केवल आनुपातिक धनराशि अनुमन्य होगी।

नियम 37क का बढाया जाना
37क: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और उससे आनुषंगिक मामलों का रद्द करण

9. उक्त नियमावली में, नियम 37 के पश्चात निम्नलिखित नियम बढा दिया जाएगा, अर्थात् :-
37क (1) जहाँ उक्त अधिनियम या इस नियमावली के किसी उपबन्ध के अधीन किसी व्यक्ति या व्यवहारी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया हो वहाँ यथास्थिति कर निर्धारक प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी संबंधित व्यवहारी या व्यक्ति को रद्दकरण आदेश की प्रति तामील करेगा और कर निर्धारक प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में कोई अन्य प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र या ओ0सी0 स्टैम्प, जो विभाग से प्राप्त किये गये हों या जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो, सहित ऐसे प्रमाण पत्र को जमा करने का आदेश देगा।
- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्दकरण के पश्चात यथास्थित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी चौबीस घंटे के भीतर रद्दकरण के संबंध में सार्वजनिक सूचना देगा और परिक्षेत्र के समस्त अपर कमिश्नरों और परिक्षेत्र के अपर कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) को सूचना प्रेषित करेगा और आदेश की एक प्रति कमिश्नर को प्रेषित करेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्दकरण की सूचना प्राप्त करने पर परिक्षेत्र का प्रत्येक अपर कमिश्नर और अपर कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) सार्वजनिक सूचना और इलैक्ट्रानिक माध्यमों के द्वारा तत्संबंध में परिक्षेत्र के समस्त अधिकारियों को तत्काल सूचित करेगा।
- (4) कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संयुक्त कमिश्नर की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी परिपत्र के द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यमों के द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण के संबंध में पाक्षिक सार्वजनिक सूचना देगा।
- (5) इस नियम के उपबन्ध, कर कटौती संख्या और सेवा प्रदाता संख्या के निमित्त यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम 41 का संशोधन

10. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-41 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

- 41 (1) धारा 21 की उपधारा (5) में संदर्भित चालान या अंतरण बीजक व्यवहारी तीन प्रतियों मूल, द्वितीय व तृतीय प्रतियों के रूप में चिन्हित करके एक सजिल्द पुस्तक से तैयार करेगा और चालान या अंतरण

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 41 (1) धारा 21 की उपधारा (5) में संदर्भित चालान या अंतरण बीजक, व्यवहारी तीन प्रतियों मूल, द्वितीय व तृतीय प्रतियों के रूप में चिन्हित करके एक सजिल्द पुस्तक से तैयार करेगा और चालान या अंतरण

बीजक की प्रत्येक प्रति पर माल के प्रतिदान या पारेषण के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी:-

- (एक) व्यवहारी का नाम व पता ;
- (दो) शाखा या डिपो का नाम ;
- (तीन) माल प्रतिदानित या प्रेषित करने वाले व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या ;
- (चार) पुस्तक संख्या ;
- (पाँच) क्रम संख्या ;
- (छः) दिनांक ;
- (सात) चालान या अंतरण बीजक को अभिप्रमाणित करने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ;
- (आठ) उस व्यवहारी या व्यक्ति का नाम व पता जिसको माल प्रतिदानित या पारेषित किया गया है ;
- (नौ) पारेषिती व्यवहारी की कर दाता पहचान संख्या यदि कोई हो ;
- (दस) बिक्री या स्टॉक अन्तरण ;
- (ग्यारह) निर्माता के मामले में माल के हटाने का समय ;
- (बारह) प्रतिदानित या पारेषित माल संबंधी निम्न विशिष्टियाँ :-
 - (क) माल का विवरण ;
 - (ख) पहचान चिन्ह या बैच नं० यदि कोई हो ;
 - (ग) माल की मात्रा व माप ;
 - (घ) नगो की संख्या ;
 - (ङ) माल का वास्तविक या अनुमानित मूल्य ;
- (तेरह) कर बीजक या बिक्री बीजक संख्या (यदि बिक्री के समय जारी किया गया हो) ;
- (चौदह) परिवहन का तरीका ;
- (पन्द्रह) चालान या अंतरण बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर व उसकी प्रास्थिति ।

- (2) उपनियम (1) के खण्ड (एक) से (पाँच) तक की विशिष्टियाँ प्रत्येक चालान या अंतरण बीजक पर छपी हुई होंगी ।
- (3) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए पहली

बीजक की प्रत्येक प्रति पर माल के प्रतिदान या पारेषण के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी:-

- (एक) व्यवहारी का नाम व पता ;
- (दो) शाखा या डिपो का नाम ;
- (तीन) माल प्रतिदानित या प्रेषित करने वाले व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या ;
- (चार) क्रम संख्या ;
- (पाँच) दिनांक ;
- (छः) चालान या बीजक को अभिप्रमाणित करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर ;
- (सात) उस व्यवहारी या व्यक्ति का नाम व पता जिसको माल प्रतिदानित या पारेषित किया गया है ;
- (आठ) पारेषिती व्यवहारी की कर दाता पहचान संख्या यदि कोई हो ;
- (नौ) बिक्री या स्टॉक अन्तरण ;
- (दस) निर्माता के मामले में माल के हटाने का समय ;
- (ग्यारह) प्रतिदानित या पारेषित माल संबंधी निम्न विशिष्टियाँ :-
 - (क) माल का विवरण ;
 - (ख) पहचान चिन्ह या बैच नं० यदि कोई हो ;
 - (ग) माल की मात्रा व माप ;
 - (घ) नगो की संख्या ;
 - (ङ) माल का वास्तविक या अनुमानित मूल्य ;
- (बारह) कर बीजक या बिक्री बीजक संख्या और दिनांक (यदि बिक्री के समय जारी किया गया हो) ;
- (तेरह) परिवहन का तरीका ;
- (चौदह) चालान या अंतरण बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर व उसकी प्रास्थिति ।

- (2) उपनियम (1) के खण्ड (एक) से (चार) तक की विशिष्टियाँ प्रत्येक चालान या अंतरण बीजक पर छपी हुई होंगी ।
- (3) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रथम

चालान पुस्तक या अंतरण बीजक पुस्तक की क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ होगी और प्रत्येक पुस्तक में तीन प्रतियों में 50 चालान या अंतरण बीजक होंगे तथा अन्य चालान पुस्तकों व अंतरण बीजक पुस्तकों, दोनों पर क्रम संख्याये आरोही क्रम में होगी।

चालान या अंतरण बीजक की क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ होगी। चालान या अंतरण बीजक तीन प्रतियों में होंगे तथा अनुवर्ती चालान व अंतरण बीजक क्रम संख्याये आरोही क्रम में होंगी। चालान या अंतरण बीजक बाउण्ड बुक से जारी किया जायेगा जो संख्या में कम से कम पचास होंगे।

- (4) चालान या अंतरण बीजक की मूल एवं (4) चालान या अंतरण बीजक की मूल एवं द्वितीय प्रति माल परिवहनकर्ता को माल को पारेषिती के परिदान हेतु दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति उस माल के साथ पारेषिती को दे देगा। पारेषिती द्वारा द्वितीय प्रति उस व्यवहारी को वापस कर दी जायेगी जिसने माल का प्रेषण या परिदान किया है।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ व्यवहारी या उसके प्रतिनिधि को माल का परिदान विक्रेता के व्यापार स्थल पर किया गया हो, क्रेता व्यवहारी माल की प्राप्ति स्वीकार करने के पश्चात चालान की द्वितीय प्रति विक्रेता व्यवहारी को दे देगा।

प्रतिबंध यह है कि जहाँ व्यवहारी या उसके प्रतिनिधि को माल का परिदान विक्रेता के व्यापार स्थल पर किया गया हो वहाँ क्रेता व्यवहारी माल की प्राप्ति स्वीकार करने के पश्चात चालान की द्वितीय प्रति विक्रेता व्यवहारी को दे देगा।

- (5) चालान या अंतरण बीजक की तीसरी प्रति व्यवहारी द्वारा चालान पुस्तक या (5) चालान या अंतरण बीजक की तृतीय प्रति व्यवहारी द्वारा चालान पुस्तक या अंतरण बीजक पुस्तक में अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी।
- (6) जहाँ चालान या आंतरण बीजक कम्प्यूटर पर रखे जा रहे हो तो उसकी हार्ड कापी (6) जहाँ चालान या आंतरण बीजक कम्प्यूटर पर रखे जा रहे हो प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति के पश्चात व्यवहारी अंतरण बीजक या चालान की हार्ड कापी निकालेगा एवं उसे कम से कम न्यूनतम 50 कापी की सजिल्द पुस्तक में रखेगा।
- (7) चालान या अंतरण बीजक के प्रारूप, रखरखाव एवं जारी करने के संबंध में समय-समय पर कमिश्नर निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

- (7) चालान या अंतरण बीजक के प्रारूप, रखरखाव एवं जारी करने के संबंध में समय-समय पर कमिश्नर निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

नियम 44 का संशोधन

11. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-44 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-I

स्तम्भ-II

विद्यमान नियम

44 (1) धारा-22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कर-बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम व पूरा पता ; उसकी शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान सं० (TIN); कर बीजक पुस्तक संख्या; कर बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; कर बीजक को अभिप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर; क्रेता का नाम व पता; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो; माल का विवरण; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि तत्समय प्रभावी किसी अन्य अधिनियम में विहित किसी बीजक में उक्त विशिष्टियों के अतिरिक्त अन्य विवरण भी हैं तो उसे अधिनियम के उद्देश्य हेतु अवैध नहीं माना जाएगा ।

(2) धारा-22 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत किसी नान वस्तु की बिक्री के लिए जारी किये जाने वाले विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); विक्रय बीजक पुस्तक संख्या; विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; क्रेता का नाम और पता; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो; जिसे व्यवहारी आवश्यक समझे और कर

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(1) धारा-22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कर-बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम व पूरा पता ; उसकी शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान सं० (TIN); कर बीजक पुस्तक संख्या; कर बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; कर बीजक को अभिप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर; क्रेता का नाम व पता; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो; माल का विवरण; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे:

(2) धारा-22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; क्रेता का नाम और पता; क्रेता की करदाता पहचान संख्या (TIN), यदि कोई हो ; माल का विवरण ; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; कर की दर; प्रभारित किए गए कर की धनराशि; कर बीजक की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो; जिसे व्यवहारी आवश्यक समझे और कर बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को बिक्री की जाती है तो ऐसे क्रेता के नाम, पते और करदाता पहचान संख्या (TIN) का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का (3) जहाँ कोई व्यक्ति अथवा हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति को बिक्री की जाती है तो ऐसे क्रेता के नाम, पते और करदाता पहचान संख्या (TIN) का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नान वैट वस्तु से भिन्न किसी कर योग्य वस्तु की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले विक्रय बीजक में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); विक्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; क्रेता व्यवहारी का पूरा नाम एवं पूर्ण पता; माल का विवरण, मात्रा एवं परिमाण; माल की विक्रय कीमत; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; विक्रय बीजक की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण यदि कोई हो, जिन्हें व्यवहारी आवश्यक समझे, और विक्रय बीजक जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) धारा 22 की उपधारा (4) के खण्ड (एक) के उद्देश्य हेतु किसी माल की एक बिक्री के लिए दो सौ पचास (250) रुपए माल का विहित विक्रय मूल्य होगा

(5) धारा 22 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट बिल में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); बिल पुस्तक संख्या; बिल की क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; माल को क्रय करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम और पूर्ण पता; माल का विवरण; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो; बिल की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो, जिन्हे

व्यवहारी तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार बीजक प्रयोग करता है और उसमें उपनियम (1) या उपनियम(2) में कथित समस्त विवरण अंकित है तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसा बीजक अमान्य नहीं होगा।

(4) धारा 22 की उपधारा (4) के खण्ड (एक) के प्रयोजन हेतु किसी माल की एक बिक्री के लिए दो सौ पचास (250) रुपए माल का विहित विक्रय मूल्य होगा

(5) धारा 22 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट क्रय बीजक मूल एवं कार्यालय प्रति के नाम से दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसपर मूल और कार्यालय प्रति चिन्हित होगा, जिसमें क्रेता व्यापारी का नाम व पता, शाखा या डिपो जहाँ से माल खरीदा जा रहा है, उसका नाम व पता करदाता पहचान संख्या (TIN), क्रय बीजक संख्या, जारी का दिनांक, माल बेचने वाले व्यापारी का पूरा नाम व पता, माल का विवरण, माल की मात्रा अथवा माप, माल का क्रय मूल्य, अन्य कोई खर्चे, जिसका भुगतान किया गया हो, क्रय बीजक में अंकित सम्पूर्ण धनराशि, माल बेचने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान तथा अन्य समस्त विवरण जैसा क्रय करने वाला व्यापारी उचित समझता है और क्रय बीजक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित होंगे।

(6) प्रत्येक कर बीजक एवं बिक्रय बीजक में विक्रेता व्यापारी का पूरा नाम व पता, ब्रान्च या डिपो जहाँ से माल बिक्री किया गया है का नाम व पता, विक्रेता व्यापारी का करदाता पहचान पत्र

व्यवहारी आवश्यक समझे और बिल जारी करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे।

- (6) धारा 22 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कैश मीमो में विक्रेता व्यवहारी का नाम और पूरा पता ; शाखा या डिपो, जहाँ से माल बेचा जाता हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान (TIN); कैशमीमो पुस्तक संख्या; कैशमीमो की क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; माल का विवरण; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का मूल्य; अन्य प्रभारण, यदि कोई हो; छूट की धनराशि, यदि कोई हो ; कैशमीमो की कुल धनराशि; अन्य ऐसे विवरण, यदि कोई हो; जिन्हें व्यवहारी आवश्यक समझे और कैशमीमो जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे।

- (7) बिल पुस्तक (बिल बुक) और कैशमीमो पुस्तक (Cash memo book) अलग-अलग होंगी और उपनियम (8) और उपनियम (9), यथास्थिति, में निर्दिष्ट बिल और कैशमीमो -

(एक) नान वैट माल से भिन्न करयोग्य माल और

(दो) किसी माल जो (एक) से आच्छादित न हो,

की बिक्री के लिए अलग-अलग बिल बुक और कैशमीमो बुक से जारी किए जाएंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यवहारी कैशमीमो एवं बिल के लिए एक ही पुस्तक रखता हो, तो वह उक्त खण्ड (एक) और (दो) में उल्लिखित वस्तुओं के लिए अलग-अलग पुस्तक रखेगा

- (8) धारा-22 की उपधारा (9) में निर्दिष्ट क्रय बीजक दो प्रतियों में बनाया जाएगा जिन पर मूल प्रति एवं कार्यालय प्रति चिन्हित किया जाएगा, और इसमें क्रेता व्यवहारी का नाम और पता; जिस शाखा या डिपो पर माल खरीदा जा रहा हो उसका नाम

संख्या, करबीजक का क्रम संख्या या विक्रय बीजक का क्रम संख्या, जैसा भी हो, मुद्रित किया जाएगा। इसी प्रकार से उपनियम (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रय बीजक पर क्रेता व्यापारी का पूर्ण नाम व पता, ब्रान्च या रिपोर्ट जहाँ से माल खरीदा गया है का नाम व पता, क्रेता व्यापारी का करदाता पहचान संख्या तथा क्रय बीजक का क्रम संख्या मुद्रित होगा।

- (7) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक और बिल मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं कार्यालय प्रति चिन्हित करते हुए तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा तथा सजिल्द पुस्तक से जारी किया जाएगा। मूल प्रति के रूप में चिन्हित प्रथम प्रति एवं द्वितीय प्रति के रूप में चिन्हित द्वितीय प्रति क्रेता को जारी की जाएगी तथा कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित तृतीय प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। द्वितीय प्रति माल के गंतव्य तक परिवहन किए जाने के दौरान माल के साथ रखी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हों तो व्यवहारी प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर कर-बीजक, विक्रय-बीजक, बिल, कैशमीमो, ट्रासफर बीजक और चालान आदि की "हार्ड कापी" निकालेगा तथा उन्हें प्रत्येक माह हेतु प्रत्येक की कम से कम पचास प्रति सजिल्द रूप में रखेगा।

- (8) उपनियम (5) में यथा निर्दिष्ट क्रय बीजक मूल प्रति और कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित, दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे तथा सजिल्द क्रय बीजक पुस्तक न्यूनतम 50 की संख्या में से जारी किए जाएंगे। क्रय बीजक की मूल प्रति विक्रेता व्यापारी को दी जाएगी।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर पर तैयार की

- और पता; उसकी कर दाता पहचान संख्या (TIN); क्रय बीजक पुस्तक संख्या; क्रय बीजक क्रम संख्या; जारी करने का दिनांक; माल विक्रय करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम एवं पूर्ण पता; माल का विवरण; माल की मात्रा एवं परिमाण; माल का क्रय मूल्य; अन्य कोई प्रभारण जिनका भुगतान किया गया हो; क्रय बीजक की कुल धनराशि; माल विक्रय करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी; ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हो; जिन्हे क्रेता व्यवहारी आवश्यक समझे और क्रय बीजक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, अन्तर्विष्ट होंगे।
- (9) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल या कैश मीमो पर विक्रेता व्यवहारी का पूरा नाम एवं पूर्ण पता; शाखा या डिपो, जहां से माल की बिक्री की जाती हो, का नाम और पता; विक्रेता व्यवहारी की कर दाता पहचान संख्या (TIN); कर बीजक पुस्तक संख्या; विक्रय बीजक पुस्तक संख्या; कैशमीमो पुस्तक संख्या या बिल बुक(पुस्तक) संख्या, यथास्थिति; कर बीजक क्रम संख्या; विक्रय बीजक क्रम संख्या; कैशमीमो क्रम संख्या या बिल क्रम संख्या, यथास्थिति, मुद्रित होगी। इसी प्रकार उपनियम (8) में निर्दिष्ट प्रत्येक क्रय बीजक पर क्रेता व्यवहारी का पूरा नाम व पूर्ण पता; शाखा या डिपो जहाँ माल क्रय किया जाता हो, का नाम व पता; क्रेता व्यवहारी की करदाता पहचान संख्या (TIN); क्रय बीजक पुस्तक संख्या और क्रय बीजक की क्रम संख्या मुद्रित होगी।
- (10) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक और बिल मूल प्रति, द्वितीय प्रति एवं कार्यालय प्रति चिन्हित करते हुए तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा तथा सजिल्द पुस्तक से जारी किया जाएगा। मूल प्रति के रूप में चिन्हित प्रथम प्रति एवं द्वितीय प्रति के रूप में चिन्हित द्वितीय प्रति क्रेता को जारी की जाएगी तथा कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित तृतीय प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा जाती हो; तो प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर व्यवहारी क्रय बीजक की "हार्ड कापी" निकालेगा तथा उन्हे प्रत्येक माह हेतु प्रत्येक की पचास प्रति सजिल्द रूप में रखेगा।
- (9) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक और क्रय बीजक स्पष्टतः पठनीय होगा।
- (10) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रथम कर बीजक या विक्रय बीजक की क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ होगी तथा बाद की कर बीजक, विक्रय बीजक एवं क्रय बीजक की क्रम संख्या आरोही क्रम में होगी। कर बीजक, विक्रय बीजक एवं क्रय बीजक सजिल्द कम से कम 50 प्रतियों की कर बीजक, विक्रय बीजक एवं क्रय बीजक बुक से जारी किए जाएंगे।
- (11) प्रत्येक कर बीजक व्यवहारी द्वारा इस हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूर्व अभिप्रमाणित होगी तथा जिसकी सूचना व्यवहारी द्वारा पंजीकरण प्राधिकारी को विहित प्रपत्र एवं विहित रीति से दी गयी होगी।
- (12) अन्तर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में की जाने वाली बिक्री के लिए विक्रय बीजक अलग विक्रय बीजक पुस्तक से जारी किए जा सकते हैं।
- (13) जहाँ व्यवहारी कर बीजक एवं बिक्री बीजक के लिए एक ही पुस्तक रख रहा है यह तभी मान्य होगा जब उपनियम (1) और उपनियम (2) में यथा प्राविधानित विवरण इस बीजक में उपलब्ध हों।
- (14) कमिशनर समय-समय पर फार्म के सम्बन्ध में तथा कर बीजक, विक्रय बीजक तथा क्रय बीजक के रखरखाव व जारी करने के संबंध में दिशा

निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकते हैं।

सुरक्षित रखी जाएगी। द्वितीय प्रति माल के गंतव्य तक परिवहन किए जाने के दौरान माल के साथ रखी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हों तो व्यवहारी प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर कर-बीजक, विक्रय-बीजक, बिल, कैशमीमो, ट्रांसफर बीजक और चालान आदि की "हार्ड कापी" निकालेगा तथा उन्हें प्रत्येक माह हेतु प्रत्येक की कम से कम पचास प्रति सजिल्द रूप में रखेगा।

- (11) उपनियम (8) में निर्दिष्ट क्रय बीजक और उपनियम (6) में निर्दिष्ट कैशमीमो मूल प्रति और कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित, दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे तथा सजिल्द क्रय बीजक पुस्तक अथवा कैशमीमो पुस्तक, यथास्थित, से जारी किए जाएंगे। क्रय बीजक और कैश मीमो की मूल प्रति क्रमशः माल के विक्रेता और क्रेता को दी जाएगी :-

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बिल और कैशमीमो के लिए व्यवहारी एक ही पुस्तक रखता हो तो वह मूल प्रति, द्वितीय प्रति और कार्यालय प्रति के रूप में चिन्हित तीन प्रतियों में कैश मीमो तैयार करेगा,

अग्रतर प्रति बन्ध यह है कि यदि लेखा पुस्तकें कम्प्यूटर पर तैयार की जाती हों ; तो प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर व्यवहारी क्रय बीजक की "हार्ड कापी" निकालेगा तथा उन्हें प्रत्येक माह हेतु प्रत्येक की पचास प्रति सजिल्द रूप में रखेगा।

- (12) प्रत्येक कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल, कैशमीमो तथा क्रय बीजक स्पष्ट पठनीय होगा।
- (13) प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए प्रथम कर बीजक या विक्रय बीजक की क्रम संख्या और पुस्तक की क्रम संख्या 001 से प्रारम्भ होगी तथा प्रत्येक पुस्तक में तीन प्रतियों में 50 कर या विक्रय बीजक अन्तर्विष्ट होंगे और बाद के कर बीजक,

विक्रय बीजक की क्रम संख्या एवं उनकी पुस्तक संख्या अरोही क्रम में होगी।

- (14) प्रत्येक कर बीजक व्यवहारी द्वारा इस हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूर्व अभिप्रमाणित होगी तथा जिसकी सूचना व्यवहारी द्वारा पंजीकरण प्राधिकारी को दी गयी होगी।
- (15) अन्तर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के अनुक्रम में की जाने वाली बिक्री के लिए विक्रय बीजक अलग विक्रय बीजक पुस्तक से जारी किए जाएंगे।
- (16) कमिश्नर समय-समय पर फार्म के सम्बन्ध में तथा कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल, कैशमीमो तथा क्रय बीजक के रखरखाव व जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश एवं सपष्टीकरण जारी कर सकते हैं।

नियम 45 का संशोधन

12. उक्त नियमावली के नियम 45 में,—

(क) नीचे स्तम्भ—1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ—1

विद्यमान उप नियम

- (7) कर के भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यवहारी उपनियम (2) के अधीन दाखिल की गई कर विवरणी के अतिरिक्त, अक्टूबर 31 या उसके पूर्व फार्म-छब्बीस में अपने पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्त की वार्षिक विवरणी उन सभी घोषणा पत्रों या प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियो, जिसके आधार पर कर मुक्ति या कर में छूट का दावा किया गया है, या जिससे संव्यवहार की प्रकृति अवधारित हो, सहित कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारक प्राधिकारी उपयुक्त कारणों के आधार को अभिलिखित करते हुए ऐसी विवरणी को दाखिल किए जाने की अवधि को 31 अक्टूबर के आगे 90 दिन तक बढ़ा सकता है।

स्तम्भ—2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

- (7) कर के भुगतान का दायी प्रत्येक व्यवहारी उपनियम (2) के अधीन दाखिल की गयी कर की विवरणी के अतिरिक्त, 31 अक्टूबर या उसके पूर्व अपने पूर्ववर्ती वर्ष के आवर्त एवं कर की वार्षिक विवरणी निम्न प्रकार प्रस्तुत करेगा —

- (क) प्रान्तीय खरीद बिक्री के मामले में प्रपत्र XXVI A में
- (ख) वर्क्स कान्ट्रैक्ट के मामले में प्रपत्र XXVI B में
- (ग) उपर्युक्त क एवं ख के अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रपत्र XXVI में

कर निर्धारण वर्ष की कार्यवाही के लिए सभी घोषित प्रपत्र एवं प्रमाणपत्र की मूलप्रति सहित जिसके आधार पर छूट अथवा रियायत का दावा किया जा रहा है अथवा जिससे संव्यवहार का स्वभाव की जांच होनी, साथ में प्रपत्र के अनुलग्नक को दाखिल किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 2007—08 के लिए वार्षिक रिटर्न 31 मार्च 2009 तक प्रस्तुत किया जा सकता है

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि कर निर्धारण अधिकारी उचित कारणों को

अभिलिखित करते हुए ऐसे विवरण को दाखिल करने हेतु 90 दिन से अनधिक समयावधि इस उपनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि से बढ़ा सकते हैं।

(ख) उप नियम (12) के बाद निम्न उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

(12-ए) (क) इस नियम के अन्तर्गत प्रति सहित विभिन्न प्रकार के कर विवरणी रिटर्न, विभागीय वेबसाईट पर आन लाईन अथवा हार्ड कापी में दाखिल किये जा सकते हैं।

प्रतिबन्ध है कि ऐसे व्यवहारी जिनका किसी कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त (जैसा कि उपनियम एक में परिभाषित है) एक करोड़ से अधिक होना सम्भावित है अथवा वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के पूर्व कर निर्धारण वर्ष में एक करोड़ रु० से अधिक रहा हो विभागीय वेबसाईट पर रिटर्न आन लाईन जमा करेगा परन्तु अन्यथा परिस्थिति में कारणों को अभिलिखित करते हुए कमिश्नर रिटर्न को हार्ड कापी अथवा साफ्ट कापी में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश से अनुमति प्रदान कर सकता है।

(ख) विभागीय वेब साईट पर आन लाईन दाखिल किये गये रिटर्न व्यवहारी अथवा व्यक्ति द्वारा जैसा कि नियम 32 के उपनियम (6) में उल्लिखित है किये गये डिजीटल हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होना चाहिए जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 के धारा 35 के उपबंधों में परिभाषित किया गया है। इसके विपरीत तथ्य होने पर यह माना जायेगा कि रिटर्न साफ्ट कापी में जमा है एवं व्यवहारी को निर्धारित अन्तिम तिथि के सात दिन के अन्दर रिटर्न की हार्ड कापी दाखिल करनी होगी।

(ग) जिन मामलों में रिटर्न आन लाईन जमा किया गया हो, ऐसे मामलों में उपनियम (4) एवं उपनियम (12) के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान की प्रति रिटर्न दाखिल करने के सात दिन के अन्दर दाखिल की जायेगी।

(ग) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम(13) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(13) कमिश्नर को कर विवरणी के फार्म को संशोधित करने की शक्ति होगी और वह कर अवधि की कर विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(13) कमिश्नर को कर विवरणी या वार्षिक विवरणी के फार्म को उपान्तरित या संशोधित करने की शक्ति होगी और वह कर अवधि की कर विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

नियम 50 का संशोधन

13. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-50 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(1) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष में कोई धनराशि जमा की गयी है या इन्पुट टैक्स की भांति उसका भुगतान किया गया है और ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को ऐसे कर निर्धारण वर्ष में कोई धनराशि वापसी योग्य है, तो उस व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध

स्तम्भ-2

एतद् द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(1) जहां किसी व्यवहारी या किसी व्यक्ति द्वारा किसी कर निर्धारण वर्ष में कोई धनराशि जमा की गयी है या इन्पुट टैक्स की भांति उसका भुगतान किया गया है और ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति को ऐसे कर निर्धारण वर्ष में कोई धनराशि वापसी योग्य है, तो उस व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध

उस वर्ष या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन, या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन या उर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अधीन न चुकाई गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजित करने के पश्चात इस अधिनियम के अन्तर्गत वापसी की जाएगी।

- (2) जहाँ किसी व्यवहारी या व्यक्ति (इस नियम में जिसे आगे प्राप्तकर्ता कहा जाएगा) को कोई धनराशि वापस की जानी है, तो उसे किसी बैंक जो कर, शुल्क या अर्थदंड या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य संदेय धनराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो, की स्थानीय शाखा का नाम और पता देना होगा और वापसी देय हो जाने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर वह बैंक की ऐसी स्थानीय शाखा में अपना बैंक खाता संख्या कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्राप्तकर्ता ने बैंक की स्थानीय शाखा का नाम और पता और बैंक की स्थानीय शाखा में अपनी बैंक खाता संख्या पहले से कर निर्धारक प्राधिकारी को दिया है तो ऐसे विवरण का पुनः दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- (3) कर निर्धारक प्राधिकारी सभी सुसंगत अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच एवं आवश्यक सत्यापन करने के उपरान्त, और धनराशि वापसी योग्य है, इस हेतु स्वयं सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त, जिस दिनांक को वापसी देय हो जाती है उस दिनांक से 21(इक्कीस) दिन की अवधि की समाप्ति होने से पूर्व अपने द्वारा फार्म-तेतीस में पारित वापसी आदेश (रिफण्ड आर्डर)की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी आदेश की प्रति की प्राप्ति के 5 (पाँच) दिन के भीतर, एक बिल तैयार करने के पश्चात, ऐसा बिल सम्बन्धित

उस वर्ष या किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन, या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन या उर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अधीन न चुकाई गयी धनराशि के विरुद्ध समायोजित करने के पश्चात इस अधिनियम के अन्तर्गत वापसी की जाएगी।

- (2) जहाँ किसी व्यवहारी या व्यक्ति (इस नियम में जिसे आगे प्राप्तकर्ता कहा जाएगा) को कोई धनराशि वापस की जानी है, तो उसे किसी बैंक जो कर, शुल्क या अर्थदंड या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य संदेय धनराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो, की स्थानीय शाखा का नाम और पता देना होगा और वापसी देय हो जाने के दिनांक से 10 दिनों के भीतर वह बैंक की ऐसी स्थानीय शाखा में अपना बैंक खाता संख्या कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्राप्तकर्ता ने बैंक की स्थानीय शाखा का नाम और पता और बैंक की स्थानीय शाखा में अपनी बैंक खाता संख्या पहले से कर निर्धारक प्राधिकारी को दिया है तो ऐसे विवरण का पुनः दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

- (3) कर निर्धारक प्राधिकारी सभी सुसंगत अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच एवं आवश्यक सत्यापन करने के उपरान्त, और धनराशि वापसी योग्य है, इस हेतु स्वयं सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त, जिस दिनांक को वापसी देय हो जाती है उस दिनांक से 18(अट्ठारह) दिन की अवधि की समाप्ति होने से पूर्व अपने द्वारा फार्म-तेतीस में पारित वापसी आदेश (रिफण्ड आर्डर)की एक प्रति आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी आदेश की प्रति की प्राप्ति के 5 (पाँच) दिन के भीतर, एक बिल तैयार करने के पश्चात, ऐसा बिल सम्बन्धित

कोषाधिकारी को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या ट्रेजरी कारबार करने वाले किसी अन्य बैंक पर भुगतान योग्य "क्रास्ट एकाउन्ट पेयी चेक" जारी करने हेतु भेजेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य हेतु, दिनांक, जिस को वापसी देय हो गयी है, वह दिनांक होगी जो

- (क) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के दिनांक जिससे वापसी सृजित होती हो ; या
- (ख) कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय में, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश, जिससे वापसी सृजित हुई हो, की प्राप्ति के दिनांक ; या
- (ग) जहाँ वापसी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के आधिक्य से सम्बन्धित हो और ऐसी धनराशि की वापसी अनुज्ञेय हो, कर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक या दिनांक जिसको कर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो, जो भी बाद की हो,

के ठीक बाद में आए।

- (4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बिल में प्राप्तकर्ता के बैंक का नाम, उसकी खाता संख्या और उसके नाम का उल्लेख किया जाएगा
- (5) बिल की प्राप्ति के दिन से 4 (चार) के भीतर कोषाधिकारी सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच को, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या ट्रेजरी कारबार करने वाले किसी बैंक पर भुगतान योग्य, बिल में वापसी योग्य प्रदर्शित धनराशि का "क्रास्ट एकाउन्ट पेई चेक" भेजेगा।
- (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चेक कोषाधिकारी द्वारा उस बैंक हेतु जारी किया जाएगा जिसका उल्लेख पूर्ववर्णित बिल में किया गया है
- (7) सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच वापसी की धनराशि का प्राप्तकर्ता के सम्बन्धित

कोषाधिकारी को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या ट्रेजरी कारबार करने वाले किसी अन्य बैंक पर भुगतान योग्य "क्रास्ट एकाउन्ट पेयी चेक" जारी करने हेतु भेजेगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के उद्देश्य हेतु, दिनांक, जिस को वापसी देय हो गयी है, वह दिनांक होगी जो

- (क) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के दिनांक जिससे वापसी सृजित होती हो ; या
- (ख) कर निर्धारक प्राधिकारी के कार्यालय में, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश, जिससे वापसी सृजित हुई हो, की प्राप्ति के दिनांक ; या
- (ग) जहाँ वापसी इन्पुट टैक्स क्रेडिट के आधिक्य से सम्बन्धित हो और ऐसी धनराशि की वापसी अनुज्ञेय हो, कर विवरणी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक या दिनांक जिसको कर विवरणी प्रस्तुत की गयी हो, जो भी बाद की हो,

के ठीक बाद में आए।

- (4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए बिल में प्राप्तकर्ता के बैंक का नाम, उसकी खाता संख्या और उसके नाम का उल्लेख किया जाएगा
- (5) बिल की प्राप्ति के दिन से 4 (चार) के भीतर कोषाधिकारी सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच को, भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या ट्रेजरी कारबार करने वाले किसी बैंक पर भुगतान योग्य, बिल में वापसी योग्य प्रदर्शित धनराशि का "क्रास्ट एकाउन्ट पेई चेक" जारी करेगा तथा आहरण वितरण अधिकारी को रिफण्ड की एडवाइस की मूल तथा द्वितीय प्रति के साथ फार्म 34 (उप नियम 8 में जैसा विहित है) में, उपरोक्तानुसार निर्धारित

- शाखा के खाते में जमा हो जाना सुनिश्चित करेगी। (6)
- (8) बैंक, जिसके लिए चेक जारी किया गया है, को चेक के प्रेषण के साथ-साथ कोषाधिकारी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या अन्य बैंक, जिस पर चेक (7) भुगतान योग्य है, को फार्म चौतीस में एडवाइस की मूल प्रति भेजेगा, और ऐसी एडवाइस की द्वितीय प्रति आहरण और वितरण अधिकारी को, जिसने बिल तैयार किया है, को अग्रसारित करेगा।
- (9) अधिनियम और इन नियमों के लिए, दिनांक, जिसको कोषाधिकारी द्वारा वापसी की धनराशि हेतु प्राप्तकर्ता के बैंक को चेक भेज दिया जाता है, वापसी के दिनांक मानी जाएगी। (8)
- (10) धारा 40 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी धनराशि का समायोजन फार्म-तैतीस(अ) में पारित समायोजन आदेश के द्वारा किया जाएगा। आदेश की प्रति व्यवहारी की उस सुसंगत पत्रावली, जिसमें समायोजन किया गया है, में रखी जाएगी। पारित किए गए आदेश की एक प्रति व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की (9) जायेगी।
- (11) माह के दौरान अनुज्ञात किए गए रिफण्ड (वापसी) का अगले माह ट्रेजरी के अभिलेखों से सत्यापन किया जाएगा जिसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षर (10) किया गया विवरण जिसमें जारी किये गये चेक या बिल का ब्यौरा प्रदर्शित हो, कोषाधिकारी को भेजा जाएगा। कोषाधिकारी वापसी का सत्यापन करेगा तथा विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस कर देगा।
- (12) वापसी (रिफण्ड) से सम्बन्धित पूर्वगामी नियमों के उपबंध धारा 43 के अध्याधीन धनराशि के वितरण हेतु आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। (11)
- (13) व्यवहारी, जिसने धारा 43 की उपधारा

समयावधि में उपलब्ध करायेगा।
 उपनियम (5) में निर्दिष्ट चेक कोषाधिकारी द्वारा उस बैंक हेतु जारी किया जाएगा जिसका उल्लेख पूर्ववर्णित बिल में किया गया है

उपनियम (5) के अन्तर्गत जारी चेक की प्राप्ति पर वापसी की एडवाइस की मूल प्रति के साथ, आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच को प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रेषित करेगा। सम्बन्धित बैंक की सर्विस ब्रांच वापसी की धनराशि का प्राप्तकर्ता के सम्बन्धित शाखा के खाते में जमा हो जाना सुनिश्चित करेगी।

बैंक, जिसके लिए चेक जारी किया गया है, को चेक के प्रेषण के साथ-साथ कोषाधिकारी भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या अन्य बैंक, जिस पर चेक भुगतान योग्य है, को फार्म चौतीस में एडवाइस की मूल प्रति भेजेगा, और ऐसी एडवाइस की द्वितीय प्रति आहरण और वितरण अधिकारी को, जिसने बिल तैयार किया है, को अग्रसारित करेगा।

अधिनियम और इन नियमों के लिए, दिनांक, जिसको **आहरण वितरण अधिकारी** द्वारा वापसी की धनराशि हेतु प्राप्तकर्ता के बैंक को चेक भेज दिया जाता है, वापसी के दिनांक मानी जाएगी।

धारा 40 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी धनराशि का समायोजन फार्म-तैतीस(अ) में पारित समायोजन आदेश के द्वारा किया जाएगा। आदेश की प्रति व्यवहारी की उस सुसंगत पत्रावली, जिसमें समायोजन किया गया है, में रखी जाएगी। पारित किए गए आदेश की एक प्रति व्यवहारी या सम्बन्धित व्यक्ति पर तामील की जायेगी।

(11) माह के दौरान अनुज्ञात किए गए रिफण्ड (वापसी) का अगले माह ट्रेजरी

- (1) में निर्दिष्ट कोई धनराशि वसूल की है, नियम 38 के अध्यक्षीन दाखिल विवरणी के साथ ऐसी धनराशि जमा करेगा। यदि वह विवरणी दाखिल करने का दायी नहीं है, तो वह सुसंगत कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर समस्त धनराशि जमा करेगा। ऐसी वसूल की गयी धनराशि नियम 11 में विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।
- (14) व्यवहारी की धनराशि का भुगतान किए जाने की रसीद, या दावेदार से धनराशि वसूल किए जाने का व्यवहारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, अधिनियम 43 की उपधारा (3) के अध्यक्षीन दावे की वापसी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (15) कर निर्धारक प्राधिकारी, अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर और ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के उपरान्त यदि सन्तुष्ट है कि धनराशि वापसी योग्य है, तो वह उपनियम (1) से (9) में दी गयी रीति के अनुसार दावेदार को धनराशि वापस करेगा। दावेदार के दावे को अस्वीकार करने के पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी दावेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। दावेदार द्वारा फार्म पैतीस में प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बन्धपत्र (इन्डेमिटी बाण्ड) पर ही धनराशि वापस की जाएगी।
- (16) धनराशि की वापसी के पश्चात किसी भी समय, कारणों को अभिलिखित करते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि धनराशि वापसी योग्य नहीं थी या अब वापसी योग्य नहीं हो गयी है, वह आदेश पारित करते हुए दावेदार को निर्देशित करेगा कि अधिकृत्य में वापस की गयी धनराशि को आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राजकोष में जमा करे। यदि दावेदार उक्त समय के भीतर धनराशि जमा करने में विफल होता है तो वह धारा 33 के उपबंधों के अधीन उससे वसूल की जाएगी :
- के अभिलेखों से सत्यापन किया जाएगा जिसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षर किया गया विवरण जिसमें जारी किये गये चेक या बिल का ब्यौरा प्रदर्शित हो, कोषाधिकारी को भेजा जाएगा। कोषाधिकारी वापसी का सत्यापन करेगा तथा विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस कर देगा।
- वापसी (रिफण्ड) से सम्बन्धित पूर्वगामी नियमों के उपबंध धारा 43 के अध्यक्षीन धनराशि के वितरण हेतु आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- व्यवहारी, जिसने धारा 43 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई धनराशि वसूल की है, नियम 38 के अध्यक्षीन दाखिल विवरणी के साथ ऐसी धनराशि जमा करेगा। यदि वह विवरणी दाखिल करने का दायी नहीं है, तो वह सुसंगत कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर समस्त धनराशि जमा करेगा। ऐसी वसूल की गयी धनराशि नियम 11 में विनिर्दिष्ट रीति से जमा की जाएगी।
- व्यवहारी की धनराशि का भुगतान किए जाने की रसीद, या दावेदार से धनराशि वसूल किए जाने का व्यवहारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, अधिनियम 43 की उपधारा (3) के अध्यक्षीन दावे की वापसी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- कर निर्धारक प्राधिकारी, अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर और ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के उपरान्त यदि सन्तुष्ट है कि धनराशि वापसी योग्य है, तो वह उपनियम (1) से (9) में दी गयी रीति के अनुसार दावेदार को धनराशि वापस करेगा। दावेदार के दावे को अस्वीकार करने के पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी दावेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। दावेदार द्वारा फार्म पैतीस में प्रस्तुत किए गए क्षतिपूर्ति बन्धपत्र (इन्डेमिटी बाण्ड) पर ही धनराशि वापस

प्रतिबंध यह है कि दावेदार को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जमा करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

की जाएगी।

धनराशि की वापसी के पश्चात किसी भी समय, कारणों को अभिलिखित करते हुए, कर निर्धारक प्राधिकारी यदि संतुष्ट है कि धनराशि वापसी योग्य नहीं थी या अब वापसी योग्य नहीं हो गयी है, वह आदेश पारित करते हुए दावेदार को निर्देशित करेगा कि अधिक्य मे वापस की गयी धनराशि को आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राजकोष मे जमा करे। यदि दावेदार उक्त समय के भीतर धनराशि जमा करने में विफल होता है तो वह धारा 33 के उपबंधों के अधीन उससे वसूल की जाएगी :

प्रतिबंध यह है कि दावेदार को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना जमा करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

नियम 50क का बढ़ाया जाना

14. उक्त नियमावली में, नियम 50 के बाद निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

नियम 50क भारत स्थित डिप्लोमेटिक मिशन या कौंसलावास के अधिकारी को वापसी की प्रक्रिया

- 50क (1) अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट कोई पदधारी अथवा कार्मिक दिनांक 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को समाप्त होने वाले तिमाही के पश्चात् कर की धनराशि की वापसी का दावा प्रस्तुत कर सकता है (परन्तु तिमाही के अगले माह के 20 दिन के पूर्व नहीं)
- (2) वापसी हेतु पूर्णरूप से भरे गये प्रार्थना पत्र के तीस दिन के अन्दर वापसी की जायेगी एवं अधूरे प्रार्थना पत्र के मामले प्रार्थना पत्र की कमियों को पूर्ण करने की तिथि के तीस दिन के अन्दर वापसी की जायेगी।
- (3) नियम 50 के प्राविधान यथावश्यक परिवर्तन सहित इस नियम के अधीन वापसी के संबंध में लागू होंगे।

नियम 60 का संशोधन

15. उक्त निमावली के नियम 60 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(1) धारा 55 के अधीन अपील निम्नलिखित को की जायेगी :-

(क) अपर कमिश्नर (अपील) को, ऐसे मामले में, जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, संयुक्त कमिश्नर (कर-निर्धारण) द्वारा पारित की गई हो, और

(ख) अन्य सभी मामलों में संयुक्त कमिश्नर (अपील) को।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(1) धारा 55 के अधीन अपील निम्नलिखित को की जायेगी :-

(क) अपर कमिश्नर (अपील) को, ऐसे मामले में, जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, संयुक्त कमिश्नर (कर-निर्धारण) द्वारा पारित की गई हो, और

(ख) उपर्युक्त खण्ड (क) के अतिरिक्त अन्य मामलों में अपर कमिश्नर (अपील) अथवा संयुक्त कमिश्नर (अपील) को।

नियम 70 का

16. नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-70 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया

- (1) इस नियम के अन्य प्राविधानों के अध्याधीन, व्यवहारी जो, इस अधिनियम के प्रादुर्भाव से पहले के दिन या बाद में पात्रता प्रमाण पत्र धारक है, वह निम्न प्रकार उस परिणाम एवं अवधि तक, जो भी पहले समाप्त हो, अधिनियम की धारा 42 में, संदर्भित कर आस्थगन के लिये निम्न प्रकार पात्र होगी :

- (क) (एक) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के प्रथम पैरा में संदर्भित औद्योगिक ईकाई के मामले में, पात्रता प्रमाण-पत्र में इंगित कर में छूट की राशि एवं वह कुल राशि जिस पर 30 प्र० व्यापार कर अधिनियम, 1948 और केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रादुर्भाव पर पहले छूट का लाभ दिया जा चुका है, के अन्तर के बराबर तक, (दो) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के द्वितीय पैरा में संदर्भित औद्योगिक ईकाईयों के मामलों में, उस शेष राशि तक जो इस अधिनियम के प्रादुर्भाव के दिन कर आस्थगन के लिये उपयुक्त थी।

- (ख) उस शेष अनुतोष अवधि के लिये जो इस अधिनियम के प्रादुर्भाव के दिन, पात्रता प्रमाण-पत्र में इंगित कुल अनुतोष अवधि में से शेष थी।

- (2) कर आस्थगन की सुविधा, इस अधिनियम में शुद्ध देय कर की राशि के लिये देय होगी।

स्पष्टीकरण : शुद्ध देय कर का अर्थ है :

- (क) औद्योगिक ईकाई, जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर अनुतोष का लाभ ले रही है, के मामले में ईकाई में निर्मित नोन वेट गुड्स को छोड़कर करयोग्य वस्तुओं की बिक्री पर इस

- (1) पूर्व व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक ईकाई जो कर मुक्ति अथवा दर में कमी की सुविधा प्राप्त थी, नियम 32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म पैतालिस में कमिश्नर के समक्ष 31 अगस्त, 2008 अथवा इस नियम के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर, जो भी बाद में हो, आवेदन कर सकता है।

- (2) आवेदन पत्र की प्रति (संलग्नकों के साथ यदि कोई हो) कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी तथा पावती सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

- (3) कर निर्धारण अधिकारी, सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो तो व्यापारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, कमिश्नर को फार्म छियालिस के प्रारूप में प्रार्थना पत्र के तीस दिन के अन्दर आख्या भेजेगा।

- (4) यदि कमिश्नर, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सही एवं पूर्ण हैं तथ कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या, प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि करती है, प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर हकदारी प्रार्थना पत्र फार्म सैतालिस के प्रारूप में जारी करेगा।

- (5) जनवरी, 2008 एवं प्रारंभ होने वाली तथा 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले कर अवधि हेतु, देय शुद्ध कर सम्बन्धित कर अवधि के रिटर्न के साथ नहीं जमा किया गया हो तब निम्न प्रकार से जमा किया जायेगा :-

क्र० सं०	कर अवधि समाप्त होने की तिथि	शुद्ध कर जमा करने की अंतिम तिथि
1.	31.01.2008	20.08.2008
2.	29.02.2008	20.09.2008
3.	31.03.2008	20.10.2008
4.	30.04.2008	20.11.2008
5.	31.05.2008	20.12.2008
6.	30.06.2008	31.07.2008

- (6) 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले

- अधिनियम के अन्तर्गत देय कर एवं कर योग्य वस्तुओं पर देय इन्पुट टैक्स क्रेडिट की सीमा तक या आनुपातिक रूप से देय इन्पुट टैक्स क्रेडिट की राशि के अन्तर की धनराशि के बराबर।
- (ख) औद्योगिक इकाई, जो कर की दर में कमी का लाभ ले रही है, शुद्ध देय कर इस स्पष्टीकरण की उपधारा (क) के अनुसार निकाला जायेगा, यह आंशिक देय कर होगा, जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (यदि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 समाप्त न किया गया होता तो) के अन्तर्गत देय कर की दर के सापेक्ष छूट के लिए उपलब्ध कर की दर के अनुपात में होगा।
- (3) कर आस्थगन की सुविधा, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007, एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय होगी।
- (4) कुल कर की राशि, जिनका भुगतान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2007 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये आस्थगित किया गया है, उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (एक) या उपखण्ड (दो), में सन्दर्भित अन्तर की राशि (जैसा लागू हो) विकलित की जायेगी।
- (5) कर का भुगतान, जिसके लिये आस्थगन की सुविधा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये दी गयी है, वह पाँच वर्ष के लिये आस्थगित की जायेगी और यह पाँच वर्ष की अवधि, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्तिम कर अवधि की कर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक के तुरन्त बाद से प्रारम्भ होगी।
- (6) व्यवहारी जो आस्थगन की सुविधा अधिनियम के अन्तर्गत ले रहे हैं, वह कुल देय कर की गणना का विवरण, कर अवधि के पश्चात शुद्ध देय कर की धनराशि सम्बन्धित कर अवधि के रिटर्न के साथ जमा किया जायेगा।
- (7) इस नियम के उपनियम (5) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई कर नहीं जमा करती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 33 की उप धारा(2) के अन्तर्गत निर्धारित ब्याज की धनराशि एवं अधिनियम की धारा-54 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड भी देय होगा।
- (8) अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत रिफण्ड अथवा देय ब्याज (यदि कोई हो), नियम 50 एवं 51 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत देय होगा।
- (9) हकदारी प्रमाण पत्र में अंकित धनराशि में से एकट के अन्तर्गत देय कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय कर की कुल धनराशि घटा दिया जायेगा।
- (10) कर का भुगतान, जिसके लिये आस्थगन की सुविधा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये दी गयी है, वह पाँच वर्ष के लिये आस्थगित की जायेगी और यह पाँच वर्ष की अवधि, ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्तिम कर अवधि की कर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक के तुरन्त बाद से प्रारम्भ होगी।
- (11) व्यवहारी जो अधिनियम के अधीन देय शुद्ध कर के आस्थगन या वापसी की सुविधा ले रहे हैं, वह कुल देय कर की गणना का विवरण, कुल अनुतोष राशि, गत माह तक प्रयुक्त राशि, माह में प्रयुक्त राशि एवं माह के अन्त में अवशेष राशि, कर अवधि की रिटर्न के साथ फार्म अडतालिस में दाखिल करेंगे।

कुल अनुतोष राशि, गत माह तक
प्रयुक्त अनुतोष राशि, माह में प्रयुक्त
अनुतोष राशि एवं माह के अन्त में
अवशेष अनुतोष राशि, कर अवधि की
रिटर्न के साथ दाखिल करेंगे।

फार्म तेइस का
संशोधन

17. नीचे अनुसूची-क में दिये गये फार्म तेइस के स्थान पर अनुसूची-ख में दिया गया
फार्म रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

शिड्यूल-क
वर्तमान फार्म

फार्म - तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-42(1) देखें]

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सम्परीक्षा आख्या

अनुसूची ख

फार्म इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है

फार्म-तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-42 देखें)

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सम्परीक्षा आख्या

भाग-1

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हमने निम्न वर्णित टैक्स पीरियड के रिटर्न के सत्यता तथा पूरा होने की जाँच कर लिया है।

क्रम संख्या	ब्योरा	विवरण
i-	व्यापारी का नाम एवं प्रास्थिति	
ii-	व्यापारी के मुख्य स्थल का पता	
iii-	टैक्स पेयर आईडेन्टीफिकेशन संख्या (टिन)	
iv-	हकदारी प्रमाण-पत्र की संख्या, यदि कोई हो	
v-	स्थाई लेखा संख्या (पैन)	
vi-	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पंजीयन की संख्या	
vii	अन्य एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक, यदि कोई हो	
viii-	सत्यापित नक्शे की अवधि	से तक
ix-	सत्यापित रिटर्न (टिक)	(i) यू0पी0 वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत (ii) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवहारी द्वारा दाखिल रिटर्न में कमियों, त्रुटियों एवं अननुपालन के संबंध में, मैं /हमारे अवलोकन एवं टिप्पणी के आडिट आख्या के भाग-2 में रहते हुए ;

- मेरी/हमारी राय में व्यवहारी द्वारा रखी गयी लेखा पुस्तकें व अन्य संबंधित अभिलेख रिटर्न के त्रुटिरहित होने एवं पूर्ण होने के सत्यापन के लिए पर्याप्त हैं।
- सत्यापनाधीन अवधि में की गयी समस्त खरीद एवं बिक्री से संबंधित दाखिल रिटर्न में घोषित विक्रय आवर्त एवं क्रय आवर्त में सम्मिलित है।
- बिक्री आवर्त / खरीद आवर्त में किया गया सुधार सत्यापनाधीन अवधि हेतु लेखा पुस्तकों की प्रविष्टि पर आधारित है।
- सकल बिक्री अथवा खरीद आवर्त में से की गयी कटौतियां जिसमें माल वापसी से संबंधित कटौतियां सम्मिलित हैं जिनका दावा नक्शों में किया गया है अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप है।
- बिक्री की गयी वस्तुओं के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए और लागू कर की दर, देयकर की गणना जैसा कि रिटर्न में दर्शाया गया है, सही है।

- 6- सत्यापनाधीन अवधि के दौरान की गयी खरीद के संबंध में अनुमन्य आई0टी0सी0 की गणना एवं गत वर्ष में किए गए आई0टी0सी0 के दावों का समायोजन सही है ।
7. सत्यापनाधीन अवधि से संबंधित रिटर्न के साथ निर्धारित प्रारूप में दाखिल की गयी पंजीकृत व्यवहारी से की गयी खरीद की सूची सही एवं पूर्ण है ।
8. रिटर्न के साथ दाखिल अन्य आवश्यक सूचना सही व पूर्ण है।
9. मैं/हम सत्यापनाधीन अवधि के रिटर्न के सत्यापन के उद्देश्य से निर्भर रहे हैं—
- (क) समाप्त हो रहे वर्ष.....हेतु रखी गयी लेखा पुस्तकें एवं अभिलेख, यथा
- (i).....(ii).....(iii).....(iv).....
- (v).....(vi).....(vii).....(viii).....
- (ख) समाप्त हो रहे वर्ष..... हेतु लाभ-हानि खाता एवं बैलेन्स शीट.....
- (ग) (i).....(ii).....(iii).....
- (iv).....(v).....(vi).....
- (घ)
- (च)
- 10- सत्यापन की अवधि में किये गये मुख्य परिवर्तन
- (i) व्यापारी के संविधान में परिवर्तन
- (ii) स्टॉक के मूल्यांकन के प्रणाली में परिवर्तन
- (iii) लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन
- (iv) व्यापारिक गतिविधि को प्रभावित करने वाला अन्य परिवर्तन
- 11- अख्या एवं टिप्पणी (रिटर्न तथा लेखा बहियों के संबंध में पायी गयी कमी एवं अनिमित्त के संबंध में) आडिट रिपोर्ट के भाग-2 में अंकित किया जाये।
- 12- विभिन्न कर नियमों के अंतर्गत अतिरिक्त कर दायित्व एवं अतिरिक्त वापसी की धनराशि के संबंध में सत्यापनाधीन अवधि के नक्शों के सत्यापन के परिणाम का सारांश ।

क्रम संख्या	ब्योरा	रिटर्न के अनुसार	लेखों के अनुसार	अंतर
1	2	3	4	5
1-	यू0पी0 वैट ऐक्ट, 2008 के अन्तर्गत देय कर			
2-	यू0पी0 वैट ऐक्ट, 2008 में समायोजित आई0टी0सी0			
3-	यू0पी0 वैट ऐक्ट, 2008 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर			
4-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 के अन्तर्गत देय कर			
5-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 में समायोजित आई0टी0सी0			
6-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम,1956 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर			
7-	यू0पी0 वैट ऐक्ट, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत कुल समायोजित आई0टी0सी0			
8-	यू0पी0टी0टी0 कर या यू0पी0वैट के अधीन देयों के सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी0			
9-	यू0पी0 वैट अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उत्कर्मित आई0टी0सी0			
10-	जमा की गयी उत्कर्मित आई0टी0सी0			
11-	दावा किया गया रिफण्ड			
12-	अतिरिक्त मॉग			
13-	अगले वर्ष के लिए अग्रेसित आई0टी0सी0			

- 13- व्यवहारी को यह सलाह दी गयी है
- (क) रु0/-.....कर दायित्व के अंतर की धनराशि जमा करने हेतु
- (ख) रु0/-.....की धनराशि की वापसी का दावा करने हेतु
- (ग) दिनांक को समाप्त हो रहे करअवधि के लिए रिटर्न को पुनरीक्षित करने हेतु

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम.....

सदस्यता संख्या.....

- संलग्नक. 1- लाभ-हानि खाता एवं बैलेन्स शीट के साथ आडिट आख्या ।
- 2- आख्या का भाग-2 फार्म-23 में ।

फार्म-तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
(उ0प्र0 मूल्य संबंधित कर नियमावली, 2008 का नियम-42 देखें)

भाग-II

नोट:-

- 1- कृपया रिपोर्ट के इस भाग के साथ कोई दस्तावेज संलग्न न करें।
- 2- सत्यापन के बिन्दु इंगित करने हेतु समस्त बिन्दुओं को शामिल नहीं करते हैं। यदि कोई अतिरिक्त सूचना है तो उसका उल्लेख टिप्पणी के कालम में लिखा जा सकता है।
- 3- आख्या का कोई स्तम्भ खाली नहीं छोड़ना है यदि मॉगी गई सूचना प्रासंगिक नहीं है तो "लागू नहीं" लिखा जाए।
- 4- कम्प्यूटर पर बनायी गयी आख्या की हार्ड कापी स्वीकार की जाएगी, यदि आख्या निर्धारित प्रारूप में है।

खण्ड क :- सामान्य सूचनायें

1.	कर निर्धारण वर्ष	2	0			-	2	0						
2.	संपरीक्ष की अवधि	D	D	M	M	Y	Y	समाप्ति की अवधि	D	D	M	M	Y	Y
3.	व्यापारी का नाम व पता	-												
4.	करदाता पहचान संख्या [टिन]													
	उत्तर प्रदेश वैट ऐक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत हकदारी प्रमाण पत्र													
	सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र													
	किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि कोई हो													
5.	व्यापार का मुख्य स्थान, डिपो/शाखा/गोदाम/उत्पादन स्थल उ0प्र0 में/ उ0प्र0 के बाहर :-													
	विवरण	पता												
a-	व्यापार का मुख्य स्थान													
b-	शाखा / डिपो / गोदाम													
	i-													
	ii-													
	iii-													
	iv-													
6.	फर्म के साझीदारों, स्वामी, निदेशकों, कर्ता, ट्रस्ट, मुख्य अधिकारी आदि का नाम व पता :-													
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक										
	(i)													
	(ii)													
	(iii)													
	(iv)													
	(v)													
7.	बैंक खातों का विवरण													
क्र० सं०	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता सं०											
I														
II														
III														

खण्ड ख :- व्यापार से संबंधित सूचना

1-	व्यापार का प्रकार (उचित खाना/खाने को चिन्हित करें)			
	थोक ☐	फुटकर ☐	निर्माण/प्रसंस्करण ☐	आयात ☐
	कमीशन एजेंसी ☐	कार्य संविदा ☐	माल के हस्तांतरण माल के प्रयोग के अधिकार का हस्तांतरण ☐	हायर परचेज ☐
	निर्यात ☐	अन्य कोई		

2-	डीलर का संघटन (उचित खाना/खाने को चिह्नित करें)					
	स्वामित्व ☐	साझीदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कंपनी ☐	सोसायटी ☐	
	राज्य या केंद्रीय सरकार के कॉरपोरेशन ☐	क्लब ☐	एसोसिएशन ☐	कोई अन्य ☐		

3- कारबार से संबंधित वस्तुओं का नाम		
क्र०सं०	वस्तुओं का विवरण	वस्तुओं के विशेष नाम

4-	व्यापारिक गतिविधि का संक्षिप्त विवरण

5-	यू०पी० वैट ऐक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान का विकल्प लिया गया..... (केवल टिक लगायें)	पुनः विक्रेता	सिविल संविदाकार	विद्युत संविदाकार	अन्य कोई	
----	--	---------------	-----------------	-------------------	----------	--

खण्ड ग :- सत्यापन की अवधि में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी धोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र से संबंधित सूचना :-

1-	फार्म का विवरण -							
क्र० सं०	फार्म का नाम	प्रारम्भिक रहतिया सं०	प्राप्ति सं०	प्रयोग		खोया / नष्ट सं०	जमा फार्मों सं०	अन्तिम रहतिया संख्या
				संख्या	आच्छादित धनराशि			
1	2	3	4	5(a)	5(b)	6	7	8
i	XXI							
ii	XXXI							
iii	XXXVIII							
iv	C							
v	F							
vi	H							
vii	EI							
viii	EII							
ix	I							

2-	सत्यापन की अवधि में कर निर्धारण अधिकारी से पृष्ठांकित फार्म-डी का विवरण						
प्रारम्भिक रहतिया	क्र०न० वर्ष में प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की सं०	क्र०न० वर्ष में जारी प्रमाण पत्रों की सं०	प्रमाण पत्र की अन्तिम रहतिया	वस्तुवार प्रमाण-पत्र के विरुद्ध की गयी खरीद			
				वस्तु का नाम	माप/मात्रा	प्रयोग किये गये फार्म की सं०	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)

3-	कर मुक्त अथवा कर की दर में कमी से संबंधित फार्मों से आच्छादित धनराशि
----	--

क्र० सं०	विवरण	घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र की संख्या	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4
1-	प्रमाण पत्रों के विरुद्ध उ०प्र० के अन्दर बिक्री		
2-	फार्म सी के विरुद्ध बिक्री		
3-	फार्म एफ के विरुद्ध बिक्री या स्टॉक हस्तान्तरण		
4-	फार्म एच के विरुद्ध बिक्री		
5-	फार्म ई० एवं सी के विरुद्ध बिक्री		
6-	फार्म ई० एवं सी के विरुद्ध बिक्री		
7-	फार्म आई के विरुद्ध बिक्री		
8-	फार्म जे के विरुद्ध बिक्री		
9-	अन्य कोई प्रमाण पत्र		

खण्ड घ :- तलाशी एवं अभिग्रहण के संबंध में सूचना :-

1-	तलाशी, जांच एवं अभिग्रहण की सूचना गत वर्ष, वर्तमान वर्ष एवं अगले वर्ष में की गयी हो(यदि कोई हो) जो इस वर्ष से संबंधित हो।		
क्र० सं०	तलाशी जांच एवं अभिग्रहण का दिनांक	प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा तलाशी एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गयी	परिणाम
i			
ii			
--			
2-	अर्थ दण्ड / अनन्तिम कर निर्धारण का विवरण और अपील / रिट का परिणाम		
क्र० सं०	आदेश का दिनांक	धारा जिसमें आदेश पारित किया गया	अर्थ दण्ड / कर की धनराशि
			अपील/रिट का परिणाम/यदि अनिर्णित है तो अपील/रिट का क्रमांक
			प्रथम अपील अधिकरण निपटारा आयोग उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय
i			
ii			
--			

खण्ड ङ :- निवेश से संबंधित सूचना

1- पूँजीगत वस्तुएं											
क्र० सं०	वस्तु का विवरण	प्रारम्भिक रहतिया		खरीद		बिक्री / निस्तारण अन्य प्रकार से		पूँजीगत खाते में अन्तरण		अन्तिम रहतिया	
		मात्रा/ माप	मूल्य	मात्रा/ माप	मूल्य	मात्रा/ माप	मूल्य	मात्रा/ माप	मूल्य	मात्रा/ माप	मूल्य
	योग :										

2- पूँजी	
क-	कार्यकारी पूँजीगत निवेश (वर्तमान लेनदारी एवं वर्तमान देनदारी का अन्तर)
ख-	स्थायी पूँजीगत निवेश (भूमि, भवन, प्लान्ट एवं मशीनरी में)
	रु० (लाख में)
	रु० (लाख में)

खण्ड च :- खरीद एवं बिक्री, प्रारम्भिक एवं अन्तिम रहतिया के संबंध में सूचना -

1- प्रारम्भिक /अन्तिम रहतिया/ खरीद / उत्पादन / बिक्री का विवरण			
(क) प्रारम्भिक रहतिया			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			

आदि			

(ख) खरीद

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ग) हस्तान्तरण से प्राप्त

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(घ) अन्य प्रकार से प्राप्त

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ङ.) प्रान्त के अन्दर बिक्री

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(च) अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान बिक्री

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(छ) भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ज) भारत के सीमा के बाहर माल के आयात के दौरान की गयी बिक्री

क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(झ) प्रदेश के बाहर बिक्री (कन्साइन्मेन्ट बिक्री/स्टाक ट्रांसफर आदि)			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ञ) उत्पाद में खपत			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
etc			

(ट) प्रोसेसिंग में खपत			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ठ) पैकिंग में खपत			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

(ड) अन्तिम रहतिया			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नाप / मात्रा / वजन	मूल्य
1	2	3	4
i-			
आदि			

2 (क) खरीद कर आवर्त					
क्र० सं०	खरीद का विवरण	वैट वस्तुएं (रु० में)	नान वैट वस्तुएं (रु० में)	कर मुक्त वस्तुएं (रु० में)	योग (रु० में)
i-	उ०प्र० में पंजीकृत व्यापारी से खरीद				

ii-	उ०प्र० के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्तियों से खरीद				
iii-	आयात के दौरान खरीद				
iv-	निर्यात के दौरान खरीद				
v-	एक राज्य से दूसरे राज्य में दस्तावेज के अंतरण द्वारा माल के मूवमेण्ट के दौरान खरीद				
vi-	अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान खरीद				
vii-	एक्स यू०पी० निर्देष्टा के खाते में खरीद				
viii-	यू०पी० निर्देष्टा के खाते में खरीद				
ix-	अन्य उद्देश्य के लिये की गयी खरीद				

2 (ख) पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से की गयी खरीद पर देय कर				
क्र० सं०	वस्तु का नाम	खरीदी गयी वस्तु का टर्नओवर	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
आदि				

3 (क) बिक्री का आवर्त					
क्र० सं०	बिक्री का विवरण	वैट वस्तुएं (रु० में)	नान वैट वस्तुएं (रु० में)	कर मुक्त वस्तुएं (रु० में)	योग (रु० में)
i-	उ०प्र० के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से बिक्री				
ii-	उ०प्र० के अन्दर पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को बिक्री				
iii-	आयात के दौरान बिक्री				
iv-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत निर्यात के दौरान बिक्री				
v-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत निर्यात के दौरान बिक्री				
vi-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 5(5) के अन्तर्गत बिक्री				
vii-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के अन्तर्गत बिक्री				
viii-	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा 8(6) के अन्तर्गत बिक्री				
ix-	प्रान्त के बाहर बिक्री				
x-	एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में दस्तावेजों का हस्तान्तरण के माध्यम से दस्तावेजों के दौरान बिक्री				
xi-	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री पंजीकृत व्यापारी से बिक्री				
xii-	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री पंजीकृत व्यापारी से भिन्न बिक्री				
xiii-	उ०प्र० के बाहर स्थित निर्देष्टा के खाते में बिक्री				
xiv-	उ०प्र० में स्थित निर्देष्टा के खाते में बिक्री				
xv-	अन्य प्रकार की बिक्री				

3 (ख) उ०प्र० वैट के अन्तर्गत कर दायित्व				
क्र० सं०	वस्तु का नाम	माल की बिक्री का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
आदि				

3 (ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय कर					
क्र० सं०	वस्तु का नाम	आवर्त का विवरण	आवर्त रुपयों में	कर की दर	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	
i					
ii-					
आदि					

3 (घ) यू0पी0 वैट अधिनियम के अन्तर्गत कार्य संविदा के दौरान की बिक्री के आवर्त पर देय कर				
क्र0 सं0	वस्तु का नाम	करयोग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
आदि	योग			

3 (ङ) अन्तर्प्रान्तीय व्यापार के दौरान कार्य संविदा के अन्तर्गत की गयी बिक्री पर कर दायित्व					
क्र0 सं0	वस्तु का नाम	कर की दर	फार्म-सी के विरुद्ध की गयी बिक्री का करयोग्य आवर्त	बिना फार्म-सी के की गयी बिक्री का करयोग्य आवर्त	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
आदि	योग				

3 (च) यू0पी0 वैट अधिनियम,2008 के अन्तर्गत माल के उपयोग का अधिकार के अंतरण के दौरान देय कर				
क्र0 सं0	वस्तु का नाम जिसका उपयोग का अधिकार अंतरित हुआ	बिक्री का कर योग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
आदि	योग			

3 (छ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी माल के प्रयोग के अधिकार का देय कर					
क्र0 सं0	वस्तु का नाम जिसका उपयोग का अधिकार अंतरित हुआ	कर की दर	फार्म-सी के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री का आवर्त	बिना फार्म-सी के विरुद्ध केन्द्रीय बिक्री का आवर्त	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
आदि	योग				

4 – समाधान राशि						
क्र0 सं0	सकर्म संविदा का प्रकार	4 – प्राप्त या प्राप्य कुल धनराशि	अनुमन्य कटौती	समाधान राशि योग्य धनराशि	समाधान की दर	समाधान की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
i						
ii						

5 – कुल देय कर		
क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
i	खरीद पर कर	
ii	बिक्री पर कर	
iii	सकर्म संविदा के अन्तर्गत देय कर	
iv	माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अन्तर्गत देय कर	
v	स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि	
vi	समाधान की धनराशि	
vii	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर	
viii	कुल देय कर	

6 – आईटीसी		
क्र०सं०	विवरण	धनराशि
i-	गत कर निर्धारण वर्ष के आगे लाई गई आईटीसी	
ii-*	कर निर्धारण वर्ष के दौरान अर्जित आईटीसी	
iii-	योग (i+ii)	
iv	चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
v-	चालू वर्ष के दौरान प्रान्तीय देय कर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vi-	यूपीटीपी के देयकर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vii-	अन्य किसी प्रकार के देयकर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
viii-	धारा 41 के अन्तर्गत रिफण्ड किया गया आईटीसी	
ix-	धारा 15 के अन्तर्गत रिफण्ड किया गया आईटीसी (धारा-41 को छोड़कर)	
x-	योग (iv +v +vi +vii +viii +ix)	
xi-	अवशेष आईटीसी	
xii	अग्रिम वर्ष हेतु आगे लाई गयी आईटीसी	

7 – रिटर्न का जमा एवं कर का भुगतान				
(क) रिटर्न का जमा एवं कर का भुगतान				
अवधि	रिटर्न की जमा		कर का भुगतान	
	देय तिथि	जमा तिथि	देय तिथि	भुगतान की तिथि
अप्रैल				
मई				
जून				
जुलाई				
अगस्त				
सितम्बर				
अक्टूबर				
नवम्बर				
दिसम्बर				
जनवरी				
फरवरी				
मार्च				

(ख) प्रेक्षण
रिटर्न के जमा तथा कर के भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान न करने एवं आर्थिक भुगतान के संबंध में टिप्पणी

8(क)– ट्रेजरी/बैंक में टैक्स पीरियड के रिटर्न के साथ जमा धनराशि का विवरण					
माह	धनराशि	ट्रे0चा0नं0	दिनांक	बैंक/ट्रेजरी का नाम	ब्रांच का नाम
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					

8(ख)– फार्म अडतालिस–क में समायोजन का विवरण				
क्र० सं०	फार्म अडतालिस–क का आदेश संख्या	माह जिसमें समायोजन किया गया	धनराशि	वर्ष जहाँ से समायोजन किया गया

8(ग)– फार्म इकतीस में टी०डी०एस० का विवरण				
क्र० सं०	संविदा का नाम व पता	संविदा संख्या एवं दिनांक	टी०डी०एस० की धनराशि	फार्म इकतीस की संख्या

9– शुद्ध देय कर एवं मॉग / वापसी						
अधिनियम का नाम	देयकर	समायोजित आई०टी०सी०	जमा / समायोजित कर			मॉग / वापसी
			बैंक में	समायोजन	टी०डी०एस०	
1	2	3	4	5	6	7
यू०पी०वैट						

G:- सत्यापन

1– प्रारंभिक रहतिया / अन्तिम रहतियां					
क्र० सं०	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
i-	उसी दशा में, निर्मित, अर्द्धनिर्मित, पैकिंग सामग्री, निष्प्रयोज्य उत्पाद, सह उत्पाद का प्रारम्भिक व अन्तिम रहतिया		वस्तुवार सूची:- i- मूल्यांकन का आधार ii- नियोक्ता का स्टॉक iii- राज्य के अन्दर स्टॉक iv- राज्य के बाहर स्टॉक v- एजेंट के पास स्टॉक vi- अन्य व्यक्ति के पास स्टॉक vii- टैक्स सेल इन्वायस के सापेक्ष स्टॉक सत्यापन योग्य है अथवा नहीं		

2- खरीद का सत्यापन					
क्र० सं०	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
क	पंजीकृत व्यापारी से खरीद		क्या खरीद:- (i) कर बीजक/बिक्री बीजक के विरुद्ध की गई है या नहीं (ii) की धनराशि में वेय कर की धनराशि सम्मिलित है ? (iii) में खर्चे जैसे कमीशन, दायी पैकिंग/ फारवर्डिंग चार्ज, दुलाई, उतराई, पैकिंग सामान का मूल्य सम्मिलित है ? (iv) की धनराशि में से माल वापसी से संबंधित धनराशि घटा दी गई है ? क्या :- (i) संबंधित टैक्स/सेल इन्वायस में केता व्यापार का नाम पता अंकित है ? (ii) विक्रेता का संबंधित टिन सत्यापनीय है ? (iii) भाड़ा मूल्य अथवा इन्सटालेशन खर्चे अलग से वसूला गया है ? (iv) कर की धनराशि टैक्स/सेल इन्वायस में अलग से वसूला गया है ?		
ख	पंजीकृत व्यापारी से भिन्न अन्य व्यक्ति से खरीद		क्या:- (i) पंजीकृत व्यवहारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से खरीद सत्यापन योग्य है अथवा नहीं ? (ii) कौषागार में कर जमा कर दिया है अथवा नहीं ? (iii) मूल व्यवहारी के लिये की गई खरीद पर कर जमा कर दिया है अथवा नहीं ? (iv) मूल व्यवहारी के लिये की गई खरीद हेतु प्रमाण पत्र VI जारी कर दिया है अथवा नहीं ? (v) प्रमाण पत्र VI में दर्शाये गये माल का मूल्य तथा वजन लेखा पुस्तकों से मेल खाता है अथवा नहीं ? (vi) निश्चित किया गया कर योग्य खरीद का आवर्त अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार है अथवा नहीं ? (vii) खरीद बीजकों का रख रखाव अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किय गया है अथवा नहीं ?		

ग	घोषणा पत्र अथवा प्रमाण पत्र के विरुद्ध की गयी खरीद		क्या:- (i) घोषणा पत्र फर्म 'सी' के विरुद्ध की गयी खरीद केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-7 की उपधारा(2) के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुरूप है अथवा नहीं ? (ii) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत फार्म-सी के विरुद्ध खरीदे गये माल अथवा उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत कमिशनर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-'डी' के विरुद्ध खरीदे गये माल का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उसे खरीद गया था अथवा नहीं ? (iii) प्रान्त बाहर से आयातित माल निर्धारित आयात घोषणा प्रपत्र-सी आच्छादित है अथवा नहीं ? (iv) आयात घोषणा पत्र का प्रयोग खरीद हुए माल की पुनर्बिक्री की गयी है अथवा निर्माण में, प्रसंस्करण या पैकिंग में किया गया है अथवा नहीं ? (v) आयात घोषणा पत्र का प्रयोग कर खरीदे गये माल का प्रयोग उपर्युक्त कर्मांक-4 की परिस्थितियों में नहीं किया गया है तो अन्यथा निस्तारित माल की मात्रा /माप/वज्रद क्या है । (vi) आयातित माल पर देयकर का भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं ?		
---	---	--	--	--	--

बिक्री का सत्यापन					
क्र० सं०	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1.	बिक्री का आवर्त		क्या:- (i) बिक्री के सकल आवर्त में सत्यापन अवधि के अन्तर्गत बिक्री के समस्त सम्यवहार एवं पूँजी की बिक्री सम्मिलित है अथवा नहीं ? (ii) अनुमन्य की गयी छूट, इन्सेन्टिव या रिबेट या पुरस्कार जैसी धनराशिया सम्मिलित है अथवा नहीं ? (iii) क्रेता से विक्रेता को प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल की धनराशि सम्मिलित है अथवा नहीं ? (iv) देय ड्यूटी शुल्क जिसका भुगतान अस्थगित कर दिया गया है सम्मिलित है अथवा नहीं ? (v) पैकिंग सामग्री का मूल्य सम्मिलित है अथवा नहीं ? (vi) संविदाकारों के मामलों में आवर्त का निर्धारण वैट नियमावली के नियम-9 के अनुसार किया गया है अथवा नहीं ? (vii) माल के प्रयोग के अधिकार के अंतरण के मामलों में आवर्त का निर्धारण नियमावली के नियम-10 के अनुसार किया गया है अथवा नहीं ? (viii) निर्धारित अनुमन्य अवधि के बाद वापस किये गये माल को घटाया गया है अथवा नहीं ? (ix) सम्पूर्ण बिजनेस की बिक्री से प्राप्त धनराशि सही है अथवा नहीं ? (x) क्रेडिट/डेबिट नोट करदाता के पास उपलब्ध हैं अथवा नहीं ?		
2.	शाखा अंतरण आदि		(क) शाखा/डिपों/अभिकर्ता आदि को हस्तान्तरित माल के मूल्यांकन की क्या पद्धति अपनायी गयी है । (ख) लेखा पुस्तकों से धनराशि का सत्यापन । (ग) क्या उ0प्र0 केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम-4 में आवश्यक समस्त सूचना लेखा		

			पुस्तकों में है अथवा नहीं ? (ध) क्या फार्म-एफ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उचित प्रकार से भरकर एवं हस्ताक्षरित कर माल के डिस्पैच के साक्ष्य के साथ कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दिया गया है अथवा नहीं ? (च) बिक्री की धनराशि किस विधि एवं माध्यम से प्राप्त की गयी है । (छ) यदि भुगतान चेक अथवा ड्राफ्ट अथवा पेय आर्डर से प्राप्त नहीं हुआ है तो नगद प्राप्त धनराशि का उल्लेख करें, और यह धनराशि कैसे आयी ?		
3.	देयकर को सम्मिलित करते हुए बिक्री के आवर्त		बिक्री के आवर्त एवं देयकर में लेखापुस्तकों से अन्तर की स्थिति में उसका मिलान ।		
4.	धारा-4 के अंतर्गत बिक्री		बिक्री किए गए माल का विवरण एवं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या		
5.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8 के अंतर्गत की गयी समस्त बिक्री का विवरण				
	क-	फार्म-सी के विरुद्ध की गयी करयोग्य बिक्री	संबंधित प्राविधानों के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरी हैं अथवा नहीं ?		
	ख-	ऐसे करयोग्य माल की बिक्री जो फार्म-सी से आच्छादित नहीं है	कर का भुगतान कर दिया गया है अथवा नहीं ?		
	ग-	करमुक्त माल की बिक्री	क्या माल वैट अधिनियम की अनुसूची-1 में सम्मिलित है या वैट अधिनियम अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी किसी विज्ञप्ति द्वारा करमुक्त किया गया है		
	घ-	करयोग्य माल की बिक्री की गयी है परन्तु E-1 और सी अथवा E-2 और सी से आच्छादित दिखाते हुए करमुक्त माँगी गयी है	क्या माल के मूवमेन्ट के दौरान सम्यक्वहार पूर्ण किया गया है अथवा डिलीवरी में विलम्ब हुआ है या डिलीवरी तक दी गयी, जबकि माल डिलीवरी योग्य स्थिति में उतार लिया गया		
	च-	धारा-6(3) के अंतर्गत बिक्री	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-6(3) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि नहीं तो उसका विवरण ।		
	छ-	धारा-8(6) के अंतर्गत बिक्री	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8(6) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि नहीं तो उसका विवरण ।		
	ज-	धारा-5(3) के अंतर्गत बिक्री	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-5(3) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि नहीं तो उसका विवरण ।		
	झ-	धारा-5(5) के अंतर्गत बिक्री	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-5(5) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि नहीं तो उसका विवरण ।		
	ट-	धारा-8(5) के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत करयोग्य माल की बिक्री	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8(5) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि नहीं तो उसका विवरण ।		
	ठ-	भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-5(1) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि नहीं तो उसका विवरण ।		
	ड-	भारत की सीमा के भीतर आयात के	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-5(2) के अंतर्गत वर्णित शर्तों का पालन कर लिया गया है यदि		

		दौरान बिक्री		नहीं तो उसका विवरण।		
6.		कर की धनराशि अलग से दर्शायी गयी है अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-8क के प्राविधानों के अनुसार गणना की गयी है		क्या धारा-8क के प्राविधानों के अनुसार गणना की गयी कर की धनराशि सकल देय कर के बराबर है।		
7.		कटौतियों का दावा				
	क-	अकरयोग्य अभिभार		(क) ऐसे अभिभार का विवरण जिसे अकरयोग्य दर्शाया गया है (ख) बिक्री मूल्य की परिभाषा को बिक्री की शर्तों के साथ पढ़ते हुए इसके प्रकाश में कटौतियों की अनुमन्यता (ग) संविदाकारी के संबंध में यह सत्यापित करें कि दर्शायी गयी कटौतियां अनुमन्य है और अनुमन्य कटौतियों की गणना हेतु अपनायी गयी पद्धति को स्पष्ट करें। (घ) माल के प्रयोग के अधिकार के अंतरण के संबंध में दर्शायी गयी करमुक्त कटौतियां अनुमन्य हैं अथवा नहीं?		
	ब-	नॉन वैट गुड्स की बिक्री		बिक्री किये गये माल का विवरण और अनुसूची की प्रविष्टि संख्या		
8.		देयकर की गणना		(क) बिक्रियों के वर्गीकरण एवं कर की दरों के वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी पद्धति (ख) संविदाकारी के संबंध में विभिन्न दरों से करयोग्य माल का बिक्री मूल्य निश्चित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति। (ग) पट्टे से संबंधित सम्ब्यवहारों एवं हायर परचेज सम्ब्यवहारों में करयोग्य बिक्री मूल्य निश्चित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति		
	क-	करयोग्य बिक्री 1 प्रतिशत की दर से		माल का विवरण एवं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या		
	ख-	करयोग्य बिक्री 2 प्रतिशत की दर से		उक्त		
	ग-	करयोग्य बिक्री 4 प्रतिशत की दर से		उक्त		
	घ-					
	च-					
	छ-					
	आदि					
9-		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत कार्य संविदा पर देयकर		(क) उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत करदायित्व निस्तारित करने हेतु एवं देय समाधान राशि/कर के निस्तारण हेतु अपनायी गयी पद्धति। (ख) सत्यापन अवधि हेतु घोषणा पत्र के रूपपत्रों में घोषित विक्रय धन के आवर्त पर कर दायित्व		
10-		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत पट्टा संविदा पर देयकर की धनराशि		(क) उ0प्र0 वैट नियमावली के अंतर्गत करदायित्व निस्तारित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति एवं देयकर की धनराशि। (ख) सत्यापन अवधि हेतु घोषणा पत्र के रूपपत्रों में घोषित विक्रय धन के आवर्त पर कर दायित्व।		

भाग-1; आई0टी0सी0 हेतु खरीद का सत्यापन

1.	कय आवर्त		विभिन्न श्रेणियों में खरीद के वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी पद्धति ।		
	क-	भारत में आयात	कय बीजक व अन्य समर्थक अभिलेख		
	ख-	अन्तर्प्रान्तीय खरीद	(क) कय बीजक व अन्य समर्थक अभिलेख (ख) केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में संलग्न सूची में खरीदी गयी वस्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित हैं एवं उनका प्रयोग घोषित उद्देश्य के लिए किया गया है यदि कोई अनियमितता हों तो उसका विवरण रिपोर्ट में दें ।		
	ग-	शाखा अंतरण	क) धनराशि का सत्यापन लेखा पुस्तकों से । (ख) स्टॉक अभिलेखों में प्रविष्टि ।		
	घ-	पंजीकृत व्यवहारी से स्थानीय खरीद	कर बीजक व अन्य समर्थित अभिलेख रखे गये हैं अथवा नहीं		
	ङ-	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न अन्य व्यक्ति से खरीद	पंजीकृत व्यवहारी के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से की गयी समस्त खरीद का चिन्हीकरण जिसमें कार्य संविदा भी सम्मिलित है ।		
2.	आई0टी0सी0 / उत्कृष्ट आई0टी0सी0 की गणना				
1-	क-	पंजीकृत से खरीद पर भुगतान किया गया अथवा देयकर	व्यवहारी द्वारा अनुमन्य आई0टी0सी0 की गणना हेतु रखे गये आई0टी0सी0 रजिस्टर की पर्याप्ता		
	ख-	खरीद पर दिया गया कर जिसपर आई0टी0सी0 देय नहीं है	ऐसी खरीद को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति जिसपर आई0टी0सी0 देय नहीं है ।		
	ग-	आई0टी0सी0 देययोग्य खरीद पर दिया गया कर	क्या आई0टी0सी0 देय योग्य खरीद ऐसे कर बीजक से समर्थित है जो कि इस संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करती है		
	घ-	खरीद मूल्य की निर्धारित दर पर आई0टी0सी0 का रिवर्सल			
	(घ) i.	करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त माल	उत्कृष्ट आई0टी0सी0 की गणना के लिए अपनायी गयी पद्धति और उत्कृष्ट आई0टी0सी0 के अनुपातिक की तर्कसंगतता		
	(घ) ii.	करमुक्त माल की पैकिंग हेतु प्रयुक्त पैकिंग सामग्री	उक्त		
	(घ) iii.	बिक्री के अतिरिक्त अन्य प्रकार से खरीदे माल का प्रदेश बाहर हस्तांतरण	ऐसी खरीद को चिन्हित करने की प्रक्रिया		
	(घ) iv.	ऐसे माल के निर्माण में प्रयुक्त माल जिसे बिक्री के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रदेश के बाहर हस्तांतरित किया गया	उत्कृष्ट आई0टी0सी0 की गणना के लिए अपनायी गयी पद्धति और उत्कृष्ट आई0टी0सी0 के अनुपातिक की तर्कसंगतता		
	ङ-	ऐसी कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल पर उत्कृष्ट आई0टी0सी0 जिसके लिए संविदाकार द्वारा समाधान योजना	सकल देय उत्कृष्ट आई0टी0सी0 को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति एवं उत्कृष्ट आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्धति		

		का विकल्प अपनाया गया है				
	च-	ऐसा माल पर उत्क्रमित आई0टी0सी जिसके पूँजी माल होने का दावा किया गया था परन्तु ऐसे माल पर आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं है		उ0प्र0 वैट अधिनियम की धारा-2च(नौ) में उल्लिखित वस्तुओं का चिन्हीकरण		
	छ-	ऐसे माल पर उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसे पूँजीमाल माना गया था परन्तु उसका प्रयोग मरम्मत व रख-रखाव के लिए किया गया है		ऐसी श्रेणी के माल पर अनुमन्य सकल उत्क्रमित आई0टी0सी0 को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति और उत्क्रमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्धति		
	ज-	ऐसे माल के संबंध में उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसके संबंध में व्यवहारी के पास करबीजक नहीं है अथवा उसकी खरीद की गयी परन्तु माल की डिलीवरी नहीं ली गयी है		ऐसी श्रेणी की खरीद को चिन्हित करने हेतु अपनायी गयी पद्धति और उत्क्रमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्धति।		
	झ-	ऐसी खरीद के संबंध में उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसका कर बीजक क्रेता व्यवहारी से खो गया है		उक्त		
	ञ-	ऐसे पूँजी माल के खरीद के संबंध में उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसका प्रयोग कार्य संविदा में कर लिया गया है		ऐसे माल के चिन्हीकरण एवं उत्क्रमित आई0टी0सी0 की गणना हेतु अपनायी गयी पद्धति		
	ट-	धारा-6 के अंतर्गत समाधान योजना के आरम्भ में प्रारम्भिक रहतिये पर उत्क्रमित आई0टी0सी0		उक्त		
	ठ-	व्यापार बंदी की तिथि में अंतिम रहतिया पर उत्क्रमित आई0टी0सी0		उक्त		
	ड-	ऐसे माल पर उत्क्रमित आई0टी0सी0		उक्त		

		जिसका प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के माल के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकिंग के लिए किया गया है				
	ढ-	ऐसे माल के संबंध में उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसे दान में दिया गया, मुफ्त दिया गया, या खो गया, या चोरी हो गया हो।		उक्त		
	ण-	ऐसे माल के संबंध में उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसका प्रयोग नॉन वैट गुड्स के निर्माण, प्रसंस्करण, अथवा पैकिंग में किया गया हो		उक्त		
	त-	क्रेता से प्राप्त क्रेडिट नोट के संबंध में उत्क्रमित आई0टी0सी0		उक्त		
	थ-	ऐसी पस्थितियों में उत्क्रमित आई0टी0सी0 जिसमें आई0टी0सी0 अनुमन्य नहीं है		उक्त		
2-		शेष आई0टी0सी0				
		दि0 01.01.08 को स्टॉक में उपलब्ध माल के संबंध में दि0 30.6.08 के बाद किए गए आई0टी0सी0 के दावे को जोड़े		क) लेखा पुस्तकों के अनुसार अंतिम रहतिया का स्टॉक सत्यापन ख) संबंधित खरीद का सत्यापन, आई0टी0सी0 हेतु अनुमन्यता और दावा की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि		
3-		देयकर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन				
4-		देय केन्द्रीय बिक्री कर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन				
5-		नक्शों में आई0टी0सी0 रिफण्ड का किया गया दावा				
6-		शेष यदि कोई है		आई0टी0सी0 शेष होने का यदि कोई कारण है, उल्लेख करें।		

खण्ड-ट केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रिटर्न का सत्यापन

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि	सत्यापन	अवलोकन	टिप्पणी
1.	सकल बिक्री आवर्त जिसमें शाखा अंतरण सम्मिलित है		नक्शों के अनुसार सकल बिक्री आवर्त		

2.	उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत सकल बिक्री आवर्त		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत दाखिल नक्शों के अनुसार सकल बिक्री आवर्त		
3.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बिक्री आवर्त जिसमें शाखा अंतरण सम्मिलित है		उ0प्र0 वैट अधिनियम के अंतर्गत बिक्री आवर्त एवं शाखा अंतरण		
4.	शाखा अंतरण		क) शाखा अंतरण के सत्यापन हेतु अपनायी गयी पद्धति ख) लेखा पुस्तकों से धनराशि का सत्यापन		
5.	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत देयकर को सम्मिलित करते हुए बिक्री आवर्त		लेखा पुस्तकों से बिक्री आवर्त और देय बिक्री कर का मिलान		
6.	कटौतियों का दावा				
i	कर की धनराशि क्या अलग से दर्शायी गयी है अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-8क के प्राविधानों के अनुसार गणना की गयी है		यह धनराशि सकल देय बिक्री कर के बराबर होनी चाहिए		
ii	अकरयोग्य अभिभार		(क) अकरयोग्य अभिभार होने के दावों का विवरण (ख) बिक्री की परिभाषा को बिक्री की शर्तों के प्रकाश में पढ़ते हुए कटौतियों की अनुमन्यता ।		
iii	प्रान्त के बाहर धारा-4 के अंतर्गत		प्रान्त के बाहर पूर्ण की गयी बिक्रियां ।		
iv	धारा-5(1) के अंतर्गत निर्यात के दौरान बिक्री-हाई सीज सेल्स		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रक्रिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
v	धारा-5(1) के अंतर्गत निर्यात के दौरान बिक्री- बिक्रियां जो आयात घटित करती हैं		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रक्रिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
vi	धारा-5(2) के अंतर्गत निर्यात के दौरान बिक्री-व्यवहारी द्वारा सीधे निर्यात		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रक्रिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
vii	धारा-5(3) के अंतर्गत निर्यात के दौरान फार्म-एच के विरुद्ध बिक्री		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रक्रिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
viii	धारा-6(2) के अंतर्गत ट्रान्जिक सेल		अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अभिलिखित किये जाने एवं जारी प्रक्रिया तथा इस संबंध में विधिक स्थिति ।		
ix	पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत कर से छूट अथवा कर की दर में कमी का लाभ ले ही औद्योगिक इकाई द्वारा बिक्री		यह छूट केवल उन्हीं श्रेणी की वस्तुओं पर अनुमन्य है जिनका उल्लेख पात्रता प्रमाण पत्र में किया गया है और उनकी बिक्री फार्म-सी से समर्थित है ।		
x	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-5(5), 6(3), 8(6) के अंतर्गत बिक्री		क्या सही दर्शायी गयी है ? और संबंधित प्राविधानों की शर्तों को पूरा करती है ।		

दिनांक — पार्टनर/स्वामी/कर्ता आदि के नाम/हस्ताक्षर
 स्थान — प्रास्थिति—
 व्यवहारी का नाम—

फार्म-छब्बीस

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवधित कर नियमावली, 2008 का नियम-45 का उप नियम (7) देखें)
वार्षिक कर रिटर्न

कर निर्धारक प्राधिकारी

कारपोरेट्स सर्किल / खण्ड..... जनपद

मैं----- पुत्र / पुत्री / पत्नी ----- (प्रास्थिति) -----

..... वार्षिक कर रिटर्न जमा करता हूँ एवं जिसके व्यापारिक विवरण निम्न प्रकार है :

6.	बैंक खाते का विवरण		
S.N.	शाखा का नाम एवं पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			

Page 50 of 97

क्र० सं०	फार्म का नाम	प्रारम्भिक रहतियाँ सं०	प्राप्त सं०	प्रयोग		खोया/नष्ट सं०	जमा	अन्तिम रहतियाँ
				सं०	आच्छादित धनराशि		कुल सं०	कुल सं०
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	6	7	8
i	XXI							
ii	XXXI							
iii	XXXVIII							
iv	C							
v	F							
vi	H							
vii	EI							
viii	EII							
ix	D							
x	I							
xi	J							
xii	अन्य कोई फार्म							

टिप्पणी:-अनुलग्नक i-viii में विस्तृत सूचना संलग्न करें

8.	प्रारम्भिक रहतिया एवं अन्तिम रहतिया तथा खरीद एवं अन्य प्राप्तियां, निर्माण तथा वस्तुओं की सूची अनुलग्नक (IX to XI)
----	--

9.	रिटर्न तथा लेखा पुस्तको के अनुसार तुलना (अनुलग्नक XIV)
----	--

10(क)- खरीद का विवरण(कार्य संविदा तथा माल के प्रयोग के अंतरण से भिन्न)					
क्र० सं०	खरीद का विवरण	वैट वस्तुओं का क्रय आवर्त	नान वैट वस्तुओं का क्रय आवर्त	कर मुक्त वस्तुओं का क्रय आवर्त	कुल आवर्त
i-	उ०प्र० में पंजीकृत व्यवहारी से				
ii-	उ०प्र० में अपंजीकृत व्यवहारी से				
iii-	आयात के दौरान				
iv-	निर्यात के दौरान				
v-	एक राज्य से दूसरे राज्य को अभिलेख टाईटिल के हस्तान्तरण के माध्यम से				
vi-	अन्तर्प्रान्तीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान				
vii-	एक्स यू०पी० निर्दष्टा के खाते में				
viii-	उ०प्र० निर्दष्टा के खाते में				
ix-	पूँजीगत वस्तुएं				
ix-	अन्य प्रकार की खरीद किसी भी उद्देश्य से				

10(ख). पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से की गयी खरीद के आवर्त पर कर की गणना				
क्र० सं०	वस्तु का नाम	खरीद का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
आदि				

11(क)- बिक्री का विवरण (कार्य संविदा/माल के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अतिरिक्त)					
क्र० सं०	बिक्री का विवरण	वैट गुड्स का आवर्त	नान वैट गुड्स का आवर्त	कर मुक्त वस्तुओं का आवर्त	सकल आवर्त
i-	कुल बिक्री				
ii-	कुल केन्द्रीय बिक्री				
iii-	कुल प्रान्तीय बिक्री (i- ii)				
iii(क)	फार्म-डी के विरुद्ध प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यवहारी को				

iii(ख)	बिना फार्म डी के विरुद्ध प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यवहारी को				
iii(ग)	पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को				

11(ख)– बिक्री के आवर्त पर कर की गणना (कार्य संविदा / माल के प्रयोग के हस्तान्तरण को छोड़कर)					
क्र० सं०	वस्तु का नाम	टर्न ओवर का प्रकार	बिक्री का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
v-					
vi-					
आदि					

12(क)– माल के प्रयोग के हस्तान्तरण के मामलों में कर योग्य आवर्त की गणना		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1-	सकल आवर्त	
2-	यदि सकल आवर्त में शामिल है तो घटाये	
i-	करमुक्त वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण प्राप्त होने वाली धनराशि	
ii-	उक्त अन्तरण में भुगतान में रिफण्ड, क्षति अथवा खोने पर प्राप्त होने वाली धनराशि	
iii-	पट्टाकर्ता द्वारा पट्टाधारी को संविदा अथवा अधिकार के अन्तरण के अन्तर्गत वस्तुओं के अन्तरण वितरण अथवा आपूर्ति के परिणामस्वरूप की गयी बिक्री के विरुद्ध प्राप्त होने वाली धनराशि	
	(क) अन्तर्प्रान्तीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान	
	(ख) राज्य से बाहर ; या	
	(ग) भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान अथवा भारत के सीमा में माल के आयात के दौरान	
iv	योग (i+ii+iii)	
v	कर योग्य आवर्त = i-iv	

12(ख)– यूपी0 वैट 2008 के अन्तर्गत माल के प्रयोग में हस्तान्तरण के मामलों में कर की गणना				
क्र० सं०	वस्तु का नाम	कर योग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
आदि	योग्य			

13– कुल देय कर		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
i	खरीद के आवर्त पर	
ii	बिक्री के आवर्त पर	
iii	माल के प्रयोग के हस्तान्तरण के मामलों में देय कर	
iv	टी0डी0एस0 की कटौती की राशि	
v	केन्द्रीय बिक्री कर 1956 के अन्तर्गत कर	
vi	कार्य संविदा के मामलों में देय कर (फार्म XXVI B) के अनुसार	
vii	अन्य कोई कर	
viii	कुल देय कर	

14– आई0टी0सी0 का विवरण		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
i-	गत कर निर्धारण वर्ष से लाई गई आई0टी0सी0	
ii-	कर निर्धारण वर्ष में अर्जित आई0टी0सी0	
iii-	योग (i+ii)	
iv	केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में कर देय के विरुद्ध समायोजित	

	आईटीसी	
v-	यूपी वेट अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में कर देय के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vi-	उपरो व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vii-	उपरो व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत बकाया विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
viii-	धारा 41 के अन्तर्गत वापस की गयी आईटीसी यदि कोई हो	
ix-	धारा 15 के अन्तर्गत वापस की गयी आईटीसी (धारा 41 से भिन्न)	
x-	योग (iv+v+vi+vii+viii+ix)	
xi-	अवशेष आईटीसी (iii- x)	
xii	अगले वर्ष के लिए अग्रणी आईटीसी	

15(क)- टैक्स पीरियड के रिटर्न के साथ कोषागार/बैंक में जमा का विवरण						
क्र० सं०	माह	धनराशि	ट्रेजरी चालान नं	दिनांक	बैंक का नाम	शाखा का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1-	अप्रैल					
2-	मई					
3-	जून					
4-	जुलाई					
5-	अगस्त					
6-	सितम्बर					
7-	अक्टूबर					
8-	नवम्बर					
9-	दिसम्बर					
10-	जनवरी					
11-	फरवरी					
12-	मार्च					
	योग					

15(ख)-टीडीएस का विवरण (फार्म XXXIII -A				
क्र० सं०	माह जिसमें समायोजित किया	धनराशि	वर्ष जहाँ से समायोजित किया	आदेश की संख्या/ दिनांक (फार्म XXXIII -A
i				

15(ग)- टीडीएस का विवरण XXXI				
क्र० सं०	संविदा का नाम एवं पता	संविदा की संख्या एवं दिनांक	टीडीएस की राशि	फार्म XXXI का मुद्रित संख्या

16-शुद्ध देय कर की गणना		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1-	देयकर की सकल धनराशि	
2-	देयकर के विरुद्ध आईटीसी का समायोजन	
3-	शुद्ध देयकर (1-2)	

4-	बैंक में जमा धनराशि	
5-	समायोजन द्वारा जमा धनराशि	
6-	टी0डी0एस0 द्वारा जमा धनराशि	
7-	योग (4+5+6)	
8-	अवशेष देयकर (3-7)	

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी प्रास्थिति
 (स्वामी, निदेशक, सझीदार आदि नियम 32(6) के अनुसार) एतद् द्वारा घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ
 कि सभी विवरण एवं आकड़े जो रिटर्न में दिये गये हैं, मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूरे हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर
 न तो अनदेखा किया गया है, न तो छुपाया गया है न तो गलत वर्णित किया गया है।

दिनांक — सझीदार/स्वामी/कर्ता अदि के नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान — प्रास्थिति—

व्यवहारी का नाम—

टिप्पणी :- 1—यूपी0 वेट नियमावली, 2008 के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही रिटर्न हस्ताक्षरित होंगे

2—यदि सारणी में दी गयी जगह पर्याप्त नहीं है तो सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग शीट पर प्रस्तुत की जा सकती है।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक I

कर निर्धारण वर्ष में वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त परिवाहन मेमो (प्रपत्र 21) का विवरण

क्र० सं०	फार्म का क्रमांक	कनसाइयनी का नाम व पता	कनसाइयनी का टिन संख्या	वस्तु का विवरण	बिल / चालान सं०	दिनांक	मात्र/माप/वजन	धनराशि
	योग							

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक II

कर निर्धारण वर्ष में वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त/प्रयोग धोषणा पत्र (प्रपत्र 38) का विवरण

क्र० सं०	धोषणा पत्र का क्रमांक (फार्म 38)	विक्रेता व्यवहारी/ कनसाइनर का नाम व पता	टिन	वस्तुएं	कर/बिक्री बीजक का दिनांक	फार्म 38 के अनुसार मात्र/माप/ वजन	कर/बिक्री बीजक के अनुसार मात्र/माप/ वजन	फार्म 38 के अनुसार धनराशि	कर/बिक्री बीजक के अनुसार धनराशि	कालम 9 व 10 में अन्तर	अन्तर का कारण जैसा कालम 11 में प्रदर्शित है (प्रमाण संलग्न करें)	कालम 7 व 8 में अन्तर	अन्तर का कारण जैसा कालम 13 में प्रदर्शित है (प्रमाण संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक III

कर निर्धारण वर्ष में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियमए, 1956 के अन्तर्गत फार्म सी के प्रयोग का विवरण

क्र० सं०	धोषणा पत्र का क्रमांक	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	विक्रेता व्यवहारी का टिन	वस्तुएं	कर/बिक्री बीजक	दिनांक	मात्र/माप /वजन	कर/बिक्री बीजक के अनुसार धनराशि	कर निर्धारण वर्ष जिसमें कर किया गया	जारी फार्म 38 की क्रम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रयुक्त धोषणा पत्र का योग =					कुल योग					

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक IV

कर निर्धारण वर्ष में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियमए, 1956 के अन्तर्गत फार्म सी के प्रयोग की समरी

कर निर्धारण वर्षवार विवरण :			
क्र० सं०	कर निर्धारण वर्ष	कुल प्रयुक्त धोषणा पत्र	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4
योग			
कुल धनराशि			

वस्तुवार प्रयोग :			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	कुल प्रयुक्त धोषणा पत्र की सं०	आच्छादित धनराशि
5	6	7	8
योग			

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक V

कर निर्धारण वर्ष में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियमए, 1956 के अन्तर्गत फार्म ई-1 के प्रयोग का विवरण

क्र० सं०	फार्म की सं०	केता व्यवहारी का नाम व पता (राज्य के साथ)	केता व्यवहारी का टिन	स्थान एवं राज्य जहां पर माल का मूवमेंट हुआ	स्थान एवं राज्य जहां माल भेजा गया	कर/बिक्री बीजक का सं० व दिनांक	माल का विवरण	मात्र/माप	माल का मूल्य	जी० आर०/आर० आर० अथवा परिवहन का अन्य साक्ष्य	केता व्यवहारी से प्राप्त फार्म सी	फार्म सी जारी करने वाले राज्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रयुक्त धोषणा पत्र का योग =						कुल धनराशि						

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू०पी० वैट- छब्बीस

अनुलग्नक VI

कर निर्धारण वर्ष में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियमए, 1956 के अन्तर्गत फार्म ई-2 के प्रयोग का विवरण

क्र० सं०	फार्म की सं०	हक विलेख में अंतरण से माल की बिक्री करने वाले व्यवहारी का नाम व पता (राज्य के साथ)	केता व्यवहारी का नाम व पता (राज्य के साथ)	केता व्यवहारी का टिन	स्थान एवं राज्य जहां पर माल का मूवमेंट हुआ	स्थान एवं राज्य जहां माल भेजा गया	कर/बिक्री बीजक का सं० व दिनांक	माल का विवरण	मात्र/माप	माल का मूल्य	जी० आर०/आर० आर० अथवा परिवहन का अन्य साक्ष्य	केता व्यवहारी से प्राप्त फार्म सी	फार्म सी जारी करने वाले राज्य का नाम
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रयुक्त धोषणा पत्र का योग =						कुल धनराशि							

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक VII

कर निर्धारण वर्ष में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत फार्म एच के प्रयोग का विवरण

क्र० सं०	धोषणा पत्र संख्या	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	निर्यातक का आदेश सं० व दिनांक	विक्रेता व्यवहारी का टिन	माल का विवरण	कर/बिक्री बीजक का सं० व दिनांक	मात्र/माप/वजन	कर/बिक्री बीजक की धनराशि रु० /विदेशी मुद्रा	हवाईअड्डे / बन्दरगाह / लैण्डकस्टम स्टेशन का नाम जहां से माल निर्यात किया गया	ऐयरलाइन / जहाज / रेलवे / मालवाहक या परिवहन के अन्य साधन जिसके द्वारा निर्यात किया गया	हवाई कन्साइन्मेंट नोट/ बिल आफलेडिंग/ रेलवे रसीद या मालवाहक रिकार्ड या डाक रसीद या अन्य कागजात जो इस बात के सबूत हो कि माल भारतीय कस्टम सीमा से बाहर भेजा गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रयुक्त धोषणा पत्र का योग =						कुल धनराशि					

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू०पी० वैट— छब्बीस

अनुलग्नक VIII

कर निर्धारण वर्ष में फार्म "एफ" के प्रयोग का विवरण

क्र० सं०	धोषणा पत्र संख्या	कनसाइनर व्यवहारी का नाम व पता	कनसाइनर का टिन एवं प्रभावी दिनांक	विभाग से जारी फार्म का दिनांक	अन्तरण बीजक का दिनांक	माल का विवरण	मात्र/माप/वजन	मूल्य / अनुमानित मूल्य	हवाईअड्डे / स्थान जहां से माल प्राप्त हुआ	जहां से माल भेजा गया उस ऐयरलाइन / रेल/ मालवाहक अथवा अन्य साधन का नाम जिसके द्वारा माल प्राप्त हुआ	हवाई कन्साइन्मेंट नोट/रेलवे रसीद अथवा मालवाहक रिकार्ड या डाक रसीद या अन्य कागजात जो माल की प्राप्ति का सबूत हों
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

बीक्रीत वस्तु का मात्र/माप	बीक्रीत वस्तु का मूल्य	अवशेष वस्तु का मात्र/माप	ड्राफ्ट/चेक से किया गया भुगतान	नगद भुगतान	अवशेष धनराशि यदि कोई हो
13	14	15	16	17	18

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक IX

टेंडिंग / निर्माण / प्रसंस्करण / पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं का मात्रात्मक विवरण

क्र० सं०	प्रारम्भिक रहतिया			प्राप्ति						बिक्री / निर्माण / प्रसंस्करण / पैकिंग मे प्रयुक्त		अन्य प्रकार से निस्तारण		अन्तम रहतिया	
				खरीद से		स्टाक ट्रन्सफर अथवा अन्य प्रकार से		योग							
	वस्तु का नाम	मात्र/माप	मूल्य	मात्र/माप	मूल्य	मात्र/माप	मूल्य	मात्र/माप	मूल्य	मात्र/माप	मूल्य	मात्र/माप	मूल्य	मात्र/माप	मूल्य
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	योग														

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक X

अन्तिम रहतिया का सूचियां (उसी स्थिति एवं दशा में)

क्र0सं0	वस्तु का नाम	बचे माल की मात्रा/माप	कर/बिक्री/ क्रय, बीजक के अनुसार प्रति इकाई मूल्य	कालम चार में उल्लिखित वस्तु का मूल्य
1	2	3	4	5
1-				
2-				
3-				
अवशेष आई0टी0सी0				
	योग			

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट— छब्बीस
अन्तिम रहतिया का सूचियां (निर्मित/अर्धनिर्मित/वेस्ट/वाई प्रोडक्ट)

अनुलग्नक XI

क्र० सं०	वस्तु का नाम	बचे माल की मात्रा/माप	प्रति इकाई मूल्य	धनराशि
1	2	3	4	5
1-				
2-				
3-				
etc				
	योग			

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक XII

यदि कर अवधि के नक्शा के साथ अथवा खरीद में कोई अन्तर हो, वैट वस्तुएं, नान वैट वस्तुएं एवं कर मुक्त वस्तुओं की खरीद की सूची का विवरण निम्न प्ररूप में प्रस्तुत की जाये (प्रान्त के अन्दर, प्रान्त के बाहर, भारत के बाहर की सूची अलग-अलग)

क्र० सं०	विक्रेता व्यवहारी का नाम व पता	विक्रेता व्यवहारी का टिन	कर/बिक्री बीजक की सं० एवं दिनांक	बिक्री बीजक में घोषित मात्रा एवं माप	कर छोड़ने के बाद माल का मूल्य	पंजीकृत व्यवहारी को देय/दिया गया कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	
1-							
2-							
3-							
4-							

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक XIII

कर की दर में कमी अथवा छूट के दावा के लिए क्रेता व्यवहारी से प्राप्त फार्म "डी" की सूची

क्र० सं०	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता	टिन एवं प्रभावी तिथि	बिक्री बीजक का सं० एवं दिनांक	माल का विवरण	मात्र/माप	विक्रय धनराशि रू० में	वसूला गये कर की दर	कर की धनराशि	कुल धनराशि	फार्म 'डी' का मुद्रित क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक XIV

माह	सकल आवर्त			शुद्ध आवर्त			सकल देय आवर्त			शुद्ध देय आवर्त		
	नकशों के अनुसार	लेखा पुस्तकों के अनुसार	अन्तर	नकशों के अनुसार	लेखा पुस्तकों के अनुसार	अन्तर	नकशों के अनुसार	लेखा पुस्तकों के अनुसार	अन्तर	नकशों के अनुसार	लेखा पुस्तकों के अनुसार	अन्तर
अप्रैल												
मई												
जून												
जुलाई												
अगस्त												
सितम्बर												
अक्टूबर												
नवम्बर												
दिसम्बर												
जनवरी												
फरवरी												
मार्च												

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट— छब्बीस
बिक्री वापसी की सूची

अनुलग्नक XV

क्र० सं०	व्यवहारी का नाम व पता जिसे वस्तुओं की बिक्री की गयी	व्यवहारी का टिन	वस्तुओं का विवरण	कर / बिक्री बीजक सं० एवं दिनांक	माल वापसी की मात्रा / माप	माल वापसी की धनराशि	माल वापसी में निहित कर	माल वापसी की प्राप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट— छब्बीस
जारी किये गये क्रेडिट नोट की सूची

अनुलग्नक XVI

क्र० सं०	क्रेता व्यवहारी का नाम व पता जिसे क्रेडिट नोट जारी किया गया	क्रेता व्यवहारी का टिन	क्रेडिट नोट की संख्या एवं दिनांक	वस्तु का नाम	संबंधित वस्तुओं के कर / बिक्री बीजक की सं० एवं दिनांक	कर छोड़कर कर / बिक्री बीजक की धनराशि	कर छोड़कर क्रेडिट नोट धनराशि	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक XVII

कर योग्य वस्तुओं के संबंध में आई0टी0सी0 की गणना

(नान वैट गुड्स, कैपिटल गुड्स यू0पी0 के अन्दर से खरीद कर उसी दशा में बिक्री के मामले को छोड़ कर)

क्र० सं०	वस्तु का नाम	पंजीकृत व्यापारी से क्रय बीजक के विरुद्ध खरीद			पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय बीजक के विरुद्ध खरीद			आई0टी0सी0 का योग	
		मात्रा/माप	माल का मूल्य	कर प्रदत्त / कर देय	मात्रा/माप	माल का मूल्य	कोषागार में जमा कर	2(c)+2(f)	
1	2	2(a)	2(b)	2(c)	2(d)	2(e)	2(f)	3	
	योग								

टिप्पणी :- यदि उपरोक्त सारणी में वी गयी जगह अपर्याप्त हो तों अलग शीट पर उपरोक्त प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक XVIII

वैट गुड्स के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त कर योग्य वस्तुओं के संबंध में आई0टी0सी0 की गणना

क्र० सं०	वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग		कालम-2 में वर्णित वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं का विवरण	पंजीकृत व्यवहारी से क्रय बीजक के विरुद्ध खरीद			पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से क्रय बीजक के विरुद्ध खरीद			आई0टी0सी0 का योग
	नाम	मात्रा /माप		मात्रा/माप	माल का मूल्य	पंजीकृत व्यावहारी द्वारा जमा कर या देय कर	मात्रा/माप	माल का मूल्य	कोषागार में जमा कर	
1	2(a)	2(b)	3	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)	3(e)	3(f)	4
			योग							

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक XIX

आर0आई0टी0सी0 की गणना

(जहाँ नान वैट गुड्स, एवं कैप्टिल गुड्स से भिन्न कर योग्य माल की बिक्री से भिन्न अन्य प्रकार से निस्तारित किया गया हो)

क्र० सं०	वस्तुएं जो बिक्री से भिन्न अन्य प्रकार से निस्तारित की गयी हैं			अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की दर	देय आई0टी0सी0 की राशि	दावा की गयी आई0टी0सी0 की राशि	आर0आई0टी0सी0 की राशि (5-4)
	नाम	मात्रा/माप	कर को छोड़ कर कय मूल्य				
1	2(a)	2(b)	2(c)	3	4	5	6

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट— छब्बीस

अनुलग्नक XX

आर0आई0टी0सी0 की गणना

(निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तु जहाँ पर नान वैट गुड्स एवं कैप्टिल गुड्स से भिन्न कर योग्य माल की बिक्री से भिन्न अन्य प्रकार से निस्तारित किया गया हो)

क्र० सं०	निर्मित /प्रसंस्कृत पैकिंग वेट वस्तुओं का नाम	कालम-2 में वर्णित वस्तुओं के निर्माण/प्रसंस्करण/पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं का विवरण			कालम-3 में वर्णित वस्तुओं के संबंध में अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की दर	देय आई0टी0सी0	दावा की गयी आई0टी0सी0 की राशि	आर0आई0टी0सी0 की राशि (6-5)
		नाम	मात्रा/माप	कर को छोड़ कर कय मूल्य				
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	4	5	6	7
1								
2								
3								
	योग							

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक XXI

पूँजीगत वस्तुओं पर आई0टी0सी0 (केवल निर्माता के संबंध में)

क्र० सं०	माल का विवरण	खरीद						
		मात्रा/माप	कर को छोड़ कर मूल्य	कर का भुगतान		पूँजीगत वस्तुओं पर आई0टी0सी0 की धनराशि	पूँजीगत वस्तुओं पर आई0टी0सी0	किश्त की धनराशि
				पंजीकृत व्यवहारी को	कोषागार			
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	5b
	योग							

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस

अनुलग्नक XXII

पूँजीगत वस्तुओं पर आर0आई0टी0सी0 (केवल निर्माता के संबंध में)

क्र० सं०	माल का विवरण	पूँजीगत वस्तुओं की खरीद								
		मात्रा/माप	कर को छोड़ कर मूल्य	कर का भुगतान		पूँजीगत वस्तुओं का निस्तारण पूँजीगत वस्तु के रूप में न करके			आर0आई0टी0सी0 की धनराशि	किश्त की धनराशि
				पंजीकृत व्यवहारी को	कोषागार	मात्रा/माप	कर को छोड़ कर मूल्य	इनपुट टैक्स		
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	5c	6b	5b
	योग									

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट— छब्बीस
वर्ष के दौरान उत्कर्मित इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि की गणना

अनुलग्नक XXIII

क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1	2	3
1-	अनुलग्नक XVII के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि	
2-	अनुलग्नक XVIII के अनुसार आई0टी0सी0 की धनराशि	
3-	एक्ट के लागू होने के दिनांक में धारित वस्तुओं के प्रारम्भिक रहतिया पर आई0टी0सी0 किश्त	
4-	कर देयता आरम्भ होने के दिनांक में धारित वस्तुओं के प्रारम्भिक रहतिया पर आई0टी0सी0 किश्त	
5-	धारा 6 के अन्तर्गत समाधान अवधि समाप्त होने पर अवशेष अन्तिम रहतिया पर आई0टी0सी0 की किश्त	
6-	पूँजीगत वस्तुओं के मामले में आई0टी0सी0 की किश्त की धनराशि, यदि कोई हो	
7-	अन्य कोई आई0टी0सी0	
8-	आई0टी0सी0 का योग (1+2+3+4+5+6+7)	
9-	अनुलग्नक XIX के अनुसार आर0आई0टी0सी0 की धनराशि	
10-	अनुलग्नक XX के अनुसार आर0आई0टी0सी0 की धनराशि	
11-	व्यापार के समप्त होने की तिथि को वचे अन्तिम रहतिया पर आर0आई0टी0सी0 की धनराशि	
12-	पूँजीगत वस्तुओं पर आर0आई0टी0सी0	
13-	अन्य कोई आर0आई0टी0सी0	
14-	कुल आर0आई0टी0सी0 (9+10+11+12+13)	
15-	अर्जित आई0टी0सी0 (8-14)	

यू0पी0 वैट- छब्बीस-क
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
(उत्तर प्रदेश मूल्य संवधित कर नियमावली, 2008 का नियम-45 का उप नियम (7) देखें)
केवल प्रान्तीय खरीद एवं बिक्री करने वाले व्यवहारी के वार्षिक कर की स्वतः कर निर्धारण एवं पावती

1-	कर निर्धारण वर्ष	2	0	-	2	0		
2-	कर निर्धारण अवधि प्रारम्भ तिथि	d	d	m	m	y	y	अन्तिम तिथि
3-	व्यवहारी का नाम/पता	-						
4-	कर दाता पहचान संख्या (टिन)							
5-	सकल बिक्री का आवर्त							
6-	कर योग्य बिक्री का आवर्त							
7-	सकल खरीद का आवर्त							
8-	कर योग्य खरीद का आवर्त							
9-	कर योग्य बिक्री पर देय कर							
10-	कर योग्य खरीद पर देय कर							
11-	कुल देय कर(9+10)							
12-	गत वर्ष से आगे लाई गयी आई0टी0सी0							
13-	वर्ष के दौरान अर्जित आई0टी0सी0							
14-	आई0टी0सी0 का योग (12+13)							
15-	यू0पी0 वैट के सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी0							
16-	उत्तर प्रदेश व्यापार कर सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी0							
17-	योग्य (15+16)							
18-	शुद्ध देय कर							
19-	कोषागार में जमा कर							
20-	रिफण्ड से समायोजन							
21-	कुल जमा (19+20)							
22-	वापसी /मॉग							

पार्टनर/स्वामी/कर्ता आदि के नाम/हस्ताक्षर
(प्रास्थिति)
व्यवहारी का नाम.....
टिन.....

पदाधिकारी का नाम व हस्ताक्षर
प्राप्ति रसीद का नम्बर व दिनांक.....

11(क). पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति से की गयी खरीद के आवर्त पर कर की गणना				
क्र० सं०	वस्तु का नाम	खरीद का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
	योग			

11(ख). कर योग्य बिक्री एवं बिक्री पर कर की गणना					
क्र० सं०	वस्तु का नाम	नान वैट गुड्स की बिक्री का आवर्त	वैट गुड्स की बिक्री का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-					
ii-					
iii-					
iv-					
v-					
vi-					
etc.					
	योग्य				

12- आईटीसी का विवरण		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
i-	आगे लायी गई आईटीसी	
ii-	कर निर्धारण वर्ष में अर्जित आईटीसी	
iii-	योग (i + ii)	
iv-	संगत वर्ष में यूपी वैट के अन्तर्गत देय कर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
v-	उप्रा व्यापार कर के अन्तर्गत देय बकाया के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vi-	अन्य देय के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vii-	धारा 15 के अन्तर्गत आईटीसी की वापसी (धारा 41 से भिन्न)	
viii-	योग (iv+ v + vi + vii)	
ix-	अवशेष आईटीसी (iii-viii)	
x-	आगामी वर्ष के लिए आगे लाई गई आईटीसी	

13(क)- टैक्स पीरियड के रिटर्न के साथ कोषागार/बैंक में जमा का विवरण						
क्र० सं०	माह	धनराशि (रुपये में)	ट्रेजरी चालान की सं०	दिनांक	बैंक का नाम	शाखा का नाम व पता
i	अप्रैल					
ii	मई					
iii	जून					
iv	जुलाई					
v	अगस्त					
vi	सितम्बर					
vii	अक्टूबर					
viii	नवम्बर					
ix	दिसम्बर					
x	जनवरी					
xi	फरवरी					
xii	मार्च					
	योग					

13(ख) - समायोजित धनराशि का विवरण फार्म-XXXIII-A में			
क्र० सं०	माह का नाम जिसमें समायोजित किया गया	धनराशि	वर्ष का नाम जिससे समायोजित किया गया
i-			
ii-			
iii-			
iv-			

14- कुल अदा किया गया कर				
क्र० सं०	कोषागार/बैंक में जमा	समायोजन के द्वारा जमा	योग (2+3)	
1	2	3	4	
15- शुद्ध देय कर की गणना				
देय कर	समायोजित आईटी0सी0	शुद्ध देय	जमा/समायोजित कर	मॉग/वापसी
2	3	4	5	6

संलग्नक:-

- (1) संलग्नक I to VII
- (2) धारा 21(17) के अन्तर्गत आवश्यक आडिट रिपोर्ट यदि आवर्त एक करोड़ से अधिक है
- (3) फार्म चौबिस के साथ संलग्न किये जाने वाले संलग्नक-ए के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद की सूची, यदि इसे टैक्स पीरियड के रूपपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा खरीद में कोई अन्तर हो
- (4) बैलेस सीट एवं लाभ हानि खाता

घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी/
प्रास्थिति..... [नियम 32(6) में दी गयी व्यवस्था जैसे स्वामी, डायरेक्टर, पार्टनर आदि), अपने पूरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी के साथ प्रस्तुत किये गये सभी विवरण एवं Figor सत्य एवं पूर्ण है और जानबूझकर कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही गलत अंकित किया गया है।

दिनांक - साझेदार/स्वामी/कर्ता आदि का नाम व हस्ताक्षर

स्थान- प्रास्थिति -

व्यापारी का नाम-

नोट:- 1- यह विवरणी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008. के नियम 32 (6) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए
2- यदि किसी प्रारूप या सारणी में दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो आवश्यक सूचनाएं उसी प्रारूप में अलग सीट में दी जा सकती है

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-क

ट्रेडिंग से सम्बन्धित माल का मात्रात्मक विवरण

अनुलग्नक I

क्र० सं०	प्रारम्भिक	रहतियां		प्राप्त						बिक्री		अन्य प्रकार से निस्तारित		अन्तिम रहतियां	
				खरीद से		अन्य प्रकार से		योग							
	वस्तु का नाम	मात्रा / नाप	मूल्य	मात्रा / नाप	मूल्य	मात्रा / नाप	मूल्य	मात्रा / नाप	मूल्य	मात्रा / नाप	मूल्य	मात्रा / नाप	मूल्य	मात्रा / नाप	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
i															
ii															
	योग														

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-अ

अनुलग्नक II

माह	सकल बिक्री		अन्तर	कर योग्य बिक्री		अन्तर	सकल खरीद		अन्तर	कर योग्य खरीद		अन्तर
	रूपपत्र के अनुसार	लेखों के अनुसार		रूपपत्र के अनुसार	लेखों के अनुसार		रूपपत्र के अनुसार	लेखों के अनुसार		रूपपत्र के अनुसार	लेखों के अनुसार	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल												
मई												
जून												
जुलाई												
अगस्त												
सितम्बर												
अक्टूबर												
नवम्बर												
दिसम्बर												
जनवरी												
फरवरी												
मार्च												
योग												

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-क

अनुलग्नक III

नान वैट गुड्स एवं कैपिटल गुड्स से भिन्न प्रान्त अन्दर से खरीदे गये माल एवं उसी दशा में बिक्री किये जाने वाले कर योग्य माल में आई0टी0सी0 की गणना

क्र0 सं0	वस्तु का नाम	पंजीकृत व्यापारियों की टैक्स इन्वाइस से की गयी खरीद			पंजीकृत व्यापारियों से भिन्न अन्य व्यक्ति से खरीद इन्वाइस से की गयी खरीद			इनपुट टैक्स क्रेडिट का योग
		मात्रा/नाप	माल का मूल्य	देय अथवा दिया गया कर	मात्रा/नाप	माल का मूल्य	कोषागार में जमा किया गया कर	(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-क

अनुलग्नक IV

नान वैट गुड्स एवं कैपिटल गुड्स से भिन्न कर योग्य माल की बिक्री से अलग निस्तारित किये गये माल के संबंध में आर0आई0टी0सी0 की गणना

क्र0 सं0	माल का नाम	बिक्री से अलग निस्तारित किये गये माल की मात्रा/नाप	कालम 3 की मात्रा का खरीद मूल्य (कर रहित)	बिक्री से अलग निस्तारित किये गये माल का मूल्य	अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की दर	अनुमन्य आई0टी0सी0 की धनराशि	क्लेम की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि	आर0आई0टी0सी0 की धनराशि (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट - छब्बीस-क
कर निर्धारण वर्ष के दौरान अर्जित की गयी आई0टी0सी0 की गणना

अनुलग्नक V

क्र० सं०	विवरण	आई0टी0सी0
1	2	3
1-	कर निर्धारण वर्ष के दौरान की गयी खरीद पर आई0टी0सी0 की धनराशि	
2-	अधिनियम लागू होने के दिनांक को स्टॉक में प्रारम्भिक रहतियां पर आई0टी0सी0 की किस्तें	
3-	अधिनियम लागू होने के पश्चात वह तिथि जिस दिन व्यापारी कर योग्य हो जाता है को प्रारम्भिक रहतियां पर आई0टी0सी0 की किस्तें	
4-	अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान योजना की समाप्ति की दिनांक को स्टॉक में अन्तिम रहतियां पर आई0टी0सी0 की किस्तें	
5-	काई अन्य आई0टी0सी0	
6-	कुल आई0टी0सी0 (1+2+3+4+5)	
7-	आर0आई0टी0सी0	
8-	व्यापार के बन्द होने के मामले में आर0आई0टी0सी0	
9-	अन्य कोई आर0आई0टी0सी0	
10-	अर्जित की गयी कुल आर0आई0टी0सी0 (7+8+9)	
11-	अर्जित की गयी आई0टी0सी0 (6-10)	

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट - छब्बीस-क
माल वापसी की सूची

अनुलग्नक VI

क्र० सं०	व्यापारी जिसको माल की बिक्री की गयी का नाम व पता	व्यापारी का टिन	माल का विवरण	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक	माल वापसी की मात्रा/माप	माल वापसी की धनराशि	माल वापसी से संबंधित कर की धनराशि	माल वापसी की प्राप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-क
जारी किये गये क्रेडिट नोट की सूची

अनुलग्नक VII

क्र० सं०	खरीददार व्यापारी का नाम व पता जिसे क्रेडिट नोट जारी किये गये	खरीददार व्यापारी का टिन	क्रेडिट नोट की संख्या व दिनांक	माल का नाम	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक जिससे माल संबंधित हो	टैक्स/सेल इन्वाइस की कर रहित धनराशि	क्रेडिट नोट की टैक्स रहित धनराशि	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-क

अनुलग्नक VIII

यदि कर अवधि के नक्शा के साथ अथवा खरीद में कोई अन्तर हो, वैट वस्तुएं, नान वैट वस्तुएं एवं कर मुक्त वस्तुओं की खरीद की सूची का विवरण निम्न प्ररूप में प्रस्तुत की जाये (प्रान्त के अन्दर, प्रान्त के बाहर, भारत के बाहर की सूची अलग-अलग)

क्र० सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	विक्रेता व्यापारी का टिन	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक	सेल इन्वाइस में मात्रा/नाप	माल का कर रहित मूल्य	अदा किया गया कर अथवा पंजीकृत व्यापारी को देय कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	
1-							
2-							
3-							
4-							

यू0पी0 वैट- छब्बीस-ख
वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-45 का उप नियम (7) देखें)
कार्य संविदा के वार्षिक कर का स्वतः कर निर्धारण एवं पावती

1-	कर निर्धारण वर्ष	2	0	y	y	-	2	0	y	y				
2-	कर निर्धारण अवधि प्रारम्भ तिथि	D	D	M	M	Y	Y	अन्तिम तिथि	D	D	M	M	Y	Y
3-	व्यवहारी का नाम/पता	-												
4-	करदाता पहचान संख्या (टिन)													
5-	सकल खरीद का आवर्त													
6-	कर योग्य खरीद का आवर्त													
7-	कर योग्य खरीद पर देय कर													
8-	सकल बिक्री का आवर्त													
9-	देय कर													
10-	व्यापारी जिनके द्वारा समाधान योजना अपनाई गयी है के द्वारा प्राप्त की गयी या प्राप्त की जाने योग्य धनराशि													
11-	समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों की समाधान राशि													
12-	कुल देय कर (7+9+ 11)													
13-	गत वर्ष से लाई गइ आई0टी0सी0													
14-	वर्ष के दौरान अर्जित आई0टी0सी0													
15-	आई0टी0सी 0 का योग (13+14)													
16-	यू0पी0 वैट के सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी 0													
17-	केन्द्रीय बिक्री कर के सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी 0													
18-	उत्तर प्रदेश व्यापार के सापेक्ष समायोजित आई0टी0सी 0													
19-	योग (18+19+20)													
20-	शुद्ध देयकर													
21-	कोषागार में जमा धन													
22-	रिफण्ड से समायोजन													
23-	टी0डी0एस0 (प्रमाण पत्र XXXI)													
24-	कुल जमा (21+22+23)													
25-	वापसी/मॉग													
26-	संविदा का टी0डी0एस0													

साझेदार/स्वामी/कर्ता आदि का नाम व हस्ताक्षर
व्यापारी का नाम/प्रास्थिति.....
टिन

प्राप्ति रसीद की संख्या व दिनांक
वाणिज्य कर विभाग के प्राधिकारी का नाम व पदनाम

	खरीद				
vi-	अन्य कोई खरीद किसी अन्य उद्देश्य के लिए				

11(ख)-	आवर्त पर कर की गणना			
क्र० सं०	वस्तु का नाम	खरीद का आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
v-				
vi-				
etc.				

12(क). कार्य संविदा के मामलों में कर योग्य आवर्त की गणना		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1	2	3
1-	प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि	
2-	घटाये	
i-	कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त वस्तुओं का मूल्य, संविदा जिसमें कार्य संविदा के निष्पादन में वस्तुएं हस्तान्तरित नहीं हुई, की समस्त धनराशि	
ii-	करमुक्त वस्तुओं का मूल्य एवं उसमें निहित लाभ की राशि, की समस्त धनराशि	
iii-	उपरोक्त कार्य संविदा के निष्पादन में किराये पर ली गई मशीनरी अथवा अन्य उपकरण पर दी गई/देय किराये की समस्त राशि	
iv-	सेवा के मूल्य तथा मजदूरी एवं उस पर लाभ की समस्त राशि	
v-	कार्य संविदा के निष्पादन में जो अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान बिक्री फलस्वरूप सम्पत्ति के अन्तरण प्राप्त समस्त राशि	
vi-	कार्य संविदा के निष्पादन में भारत के बाहर निर्यात के दौरान बिक्री के फलस्वरूप सम्पत्ति के अन्तरण में प्राप्त समस्त धनराशि	
vii-	राज्य के बाहर की गई बिक्री के परिणामस्वरूप अन्तरण की गयी समस्त धनराशि	
viii-	प्रान्त के अन्दर खरीदी गयी नान वैट गुड्स जिसका व्यवहारी कार्य संविदा के निस्तारण में की गयी करदेय खरीद की समस्त धनराशि	
ix-	व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारी से नान वैट गुड्स के खरीद मूल्य की समस्त धनराशि	
x-	स्थापना में किया गया खर्च एवं समतुल्य खर्च जो संविदा के मजदूरी एवं सेवाओं तथा लाभ से संबंधित समस्त धनराशि	
3-	योग (2 का i से x)	
4-	यू0पी0 वैट एक्ट 2008 के अन्तर्गत आवर्त (1-3)	

12(ख). यू0पी0 वैट एक्ट के अधीन कार्य संविदा के मामलों में बिक्री आवर्त पर कर की गणना				
क्र० सं०	वस्तु का नाम	बिक्री का कर योग्य आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-				
ii-				
iii-				
iv-				
etc.	योग			

12(ग) केन्द्रीय बिक्री के अधीन बिक्री आवर्त पर कर की गणना					
क्र० सं०	वस्तु का नाम	आवर्त का विवरण	आवर्त	कर की दर	कर की धनराशि
i-					

ii-					
iii-					
iv-					
etc.		योग			

13-समाधान राशि							
क्र० सं०	कार्य संविदा की प्रकृति	अनुबन्ध की संख्या व दिनांक	प्राप्त या प्राप्त होने योग्य कुल धनराशि	अनुमन्य कटौती	समाधान योग्य धनराशि	समाधान की दर	समाधान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
i-							
ii-							
iii-							
iv-							
v-							
vi-							
vii-							
viii-							

14- कुल देय कर		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
i-	खरीद पर	
ii-	बिक्री पर	
iii-	उक्त संविदाकार से स्रोत पर की गयी कटौती की धनराशि	
iv-	समाधान राशि	
v-	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत देय कर	
	योग	

15- आईटीसी का विवरण		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
i-	गत वर्ष से आगे लाई गई आईटीसी	
ii-	कर निर्धारण वर्ष में अर्जित आईटीसी	
iii-	योग (i+ii)	
iv-	वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत देय कर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
v-	वर्तमान वर्ष में यूपी वेट के अन्तर्गत देय कर के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vi-	उपरोक्त व्यापार कर के अन्तर्गत देय के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
vii-	अन्य प्रकार के देय के विरुद्ध समायोजित आईटीसी	
viii-	धारा 15 के अन्तर्गत वापस की गयी आईटीसी (धारा 41 को छोड़कर)	
ix-	योग (iv+v+vi+vii+viii)	
x-	अवशेष आईटीसी	
xi-	अगले वर्ष के लिए लाई गई आईटीसी	

16(क)- टीडीएस प्रमाण पत्रों से जमा धनराशि का विवरण							
क्र० सं०	फार्म XXXI की संख्या	टीडीएस की धनराशि	माह का नाम	जमा धनराशि	जमा का दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8

16(ख) - फार्म XXXIII-A से किये गये समायोजन का विवरण				
क्र० सं०	माह का नाम जिसमें समायोजन किया गया	धनराशि	वर्ष का नाम जिससे समायोजन किया गया	फार्म XXXIII-A का आदेश व दिनांक

16(ग)- टैक्स पीरियड के रिटर्न के साथ कोषागार/बैंक में जमा का विवरण						
क्र० सं०	माह	धनराशि	टैजरी चा० की सं०	दिनांक	बैंक का नाम	बॉन्च का पता
i-	अप्रैल					
ii-	मई					
iii-	जून					
iv-	जुलाई					
v-	अगस्त					
vi-	सितम्बर					
vii-	अक्टूबर					
viii-	नवम्बर					
ix-	दिसम्बर					
x-	जनवरी					
xi-	फरवरी					
xii-	मार्च					
योग						

16(घ) - जमा की पूर्ण धनराशि/आईटीसी जो क्रेडिट होनी है		
क्र० सं०	विवरण	धनराशि
1	2	3
1-	बैंक या कोषागार में सीधे जमा की गयी धनराशि	
2-	टीडीएस प्रमाण पत्र (XXXI)	
3-	वापसी योग्य धनराशि से समायोजन	
	कुल योग	

17- शुद्ध देय कर और मॉग या वापसी					
अधिनिमय का नाम	देय कर	समायोजित आईटीसी	शुद्ध देय कर	जमा कर/समायोजित/ टीडीएस	मॉग/वापसी
1	2	3	4	5	6
यूपी वैट					

संलग्नक- बैलेस सीट एवं ट्रेडिंग एकाउन्ट
अनुलग्नक I to VIII

घोषणा

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी/
प्रास्थिति..... [नियम 32(6) में दी गयी व्यवस्था जैसे स्वामी, डायरेक्टर, पार्टनर आदि], अपने पूरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर घोषणा एवं सत्यापित करता हूँ कि इस विवरणी के साथ प्रस्तुत किये गये सभी विवरण एवं

विवरण एवं अंक सत्य एवं पूर्ण है और जानबूझकर कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही गलत अंकित किया गया है।

दिनांक -

साझेदार/स्वामी/कर्ता आदि का नाम व हस्ताक्षर

स्थान-

प्रास्थिति -

व्यापारी का नाम-

-
- नोट:- 1- यह विवरणी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 32 (6) के अन्तर्गत प्राधिकर व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए
2- यदि किसी प्रारूप या सारणी में दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो आवश्यक सूचनाएं उसी प्रारूप में अलग सीट में दी जा सकती है

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट. छब्बीस-ख

अनुलग्नक I

वाणिज्य कर विभाग से कर निर्धारण वर्ष में प्राप्त एवं प्रयोग किए गए फार्म अडतीस का विवरण

क्र० सं०	घोषणा पत्र अडतीस की संख्या	विक्रेता व्यापारी अथवा माल भेजने वाले का नाम व पता	TIN	वस्तु का नाम	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक	फार्म अडतीस के अनुसार मात्रा/नाप/वजन	टैक्स/सेल इन्वाइस के अनुसार मात्रा/नाप/वजन	फार्म अडतीस के अनुसार धनराशि	सेल/टैक्स इन्वाइस के अनुसार धनराशि	कालम 9 & 10 में अन्तर	कालम 11 में अन्दर का कारण (साक्ष्य संलग्न किया जाए)	कालम 7 & 8 का अन्तर	कालम 13 में अन्दर का कारण (साक्ष्य संलग्न किया जाए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट-यदि उपलब्ध कराया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो सूचनाएं उपरोक्त प्रारूप में अलग से प्रस्तुत की जाए

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट - छब्बीस-ख

अनुलग्नक II

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म सी का कर निर्धारण वर्ष में प्रयोग का विवरण

क्र० सं०	घोषणा पत्र की संख्या	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	विक्रेता व्यापारी का टिन	वस्तु का नाम	टैक्स/सेल इन्वाइस	दिनांक	मात्रा/नाप/वजन	टैक्स/सेल इन्वाइस की धनराशि	खरीद का कर निर्धारण वर्ष	प्रयोग किये फार्म XXXVIII की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल प्रयोग किये गये फार्म की संख्या					कुल धनराशि					

नोट-यदि उपलब्ध कराया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो सूचनाएं उपरोक्त प्रारूप में अलग से प्रस्तुत की जाए

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म-सी का वर्षवार एवं वस्तुवार विवरण

अनुलग्नक III

कर निर्धारण वर्षवार:				वस्तुवार प्रयोग:			
क्र० सं०	कर निर्धारण वर्ष	प्रयोग किए गए फार्मों की सं०	आच्छादित धनराशि	क्र० सं०	वस्तु का नाम	प्रयोग किए गए फार्मों की सं०	आच्छादित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
योग				योग			
कुल धनराशि							

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख

कर निर्धारण वर्ष में वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त एवं प्रयोग किए गए फार्म इकतीस का विवरण

अनुलग्नक IV

क्र० सं०	प्रमाण पत्र की सं०	उप सविदाकार का नाम व पता	उप सविदाकार का टिन	अनुबन्ध की संख्या व दिनांक	अनुबन्ध की प्रकृति	सकल भुगतान की धनराशि	कटौती की धनराशि	भुगतान की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट- छब्बीस-ख

अनुलग्नक V

बिक्री अथवा निस्तारित माल का मात्रात्मक विवरण

क्र० सं०	माल का विवरण	प्रारम्भिक रहतियां	खरीद से प्राप्त	अन्यथा प्राप्त	योग	राज्य के अन्दर बिक्री	केन्द्रीय बिक्री	स्टॉक ट्रांसफर्स	अन्यथा निस्तारित	अन्तिम रहतियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i										
	योग									

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख

अनुलग्नक VI

निम्न प्रारूप में खरीद की सूची प्रस्तुत करना, यदि टैक्स पीरियड के रूपपत्र के साथ संलग्न न की गयी हो अथवा यदि खरीद में कोई अन्तर हो, वैट गुड्स नान वैट गुड्स एवं करमुक्त माल की सूचियां अलग-अलग प्रस्तुत की जाएंगी (प्रान्त के अन्दर, प्रान्त के बाहर और देश के बाहर अलग-अलग)

क्र० सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	विक्रेता व्यापारी का टिन	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक	सेल इन्वाइस में मात्रा/नाप	माल का कर रहित मूल्य	अदा किया गया कर अथवा पंजीकृत व्यापारी को देय कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	
1-							
2-							
3-							
4-							

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू०पी० वॉट - छब्बीस-ख

अनुलग्नक VII

[illegible]

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू०पी० वैंट - छब्बीस-ख

ट्रेडिंग में माल का मात्रात्मक विवरण

अनुलग्नक VIII

[illegible]

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख

अनुलग्नक IX

नान वैट गुड्स एवं कैपिटल गुड्स से भिन्न प्रान्त अन्दर से खरीदे गये माल एवं उसी दशा में बिकी किये जाने वाले कर योग्य माल में आई0टी0सी0 की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	पंजीकृत व्यापारियों की टैक्स इन्वाइस से की गयी खरीद			पंजीकृत व्यापारियों से भिन्न अन्य व्यक्ति से खरीद इन्वाइस से की गयी खरीद			इनपुट टैक्स क्रेडिट का योग
		मात्रा/नाप	माल का मूल्य	देय अथवा दिया गया कर	मात्रा/नाप	माल का मूल्य	कोषागार में जमा किया गया कर	(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार

यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख

अनुलग्नक X

नान वैट गुड्स एवं कैपिटल गुड्स से भिन्न कर योग्य माल की बिकी से अलग निस्तारित किये गये माल के संबंध में आर0आई0टी0सी0 की गणना

क्र० सं०	माल का नाम	बिकी से अलग निस्तारित किये गये माल की मात्रा/नाप	कालम 3 की मात्रा का खरीद मूल्य (कर रहित)	बिकी से अलग निस्तारित किये गये माल का मूल्य	अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की दर	अनुमन्य आई0टी0सी0 की धनराशि	क्लेम की गयी आई0टी0सी0 की धनराशि	आर0आई0टी0सी0 की धनराशि (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								

नोट-यदि उपलब्ध कराया गया स्थान प्रयाप्त नहीं है तो सूचनाएं उपरोक्त प्रारूप में अलग से प्रस्तुत की जाए

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख
 कर निर्धारण वर्ष में अर्जित की गयी आई0टी0सी0 की गणना

अनुलग्नक XI

क्र० सं०	विवरण	आई0टी0सी0
1	2	3
1-	कर निष्पूरण वर्ष के दौरान की गयी खरीद पर आई0टी0सी0 की धनराशि	
2-	अधिनियम लागू होने के दिनांक को स्टॉक में प्रारम्भिक रहतियां पर आई0टी0सी0 की किस्तें	
3-	अधिनियम लागू होने के पश्चात वह तिथि जिस दिन व्यापारी कर योग्य हो जाता है को प्रारम्भिक रहतियां पर आई0टी0सी0 की किस्तें	
4-	अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत समाधान योजना की समाप्ति की दिनांक को स्टॉक में अन्तिम रहतियां पर आई0टी0सी0 की किस्तें	
5-	काई अन्य आई0टी0सी0	
6-	कुल आई0टी0सी0 (1+2+3+4+5)	
7-	आर0आई0टी0सी0	
8-	व्यापार के बन्द होने के मामलों में आर0आई0टी0सी0	
9-	अन्य कोई आर0आई0टी0सी0	
10-	अर्जित की गयी कुल आर0आई0टी0सी0 (7+8+9)	
11-	अर्जित की गयी आई0टी0सी0 (6-10)	

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख
 माल वापसी की सूची

अनुलग्नक XII

क्र० सं०	व्यापारी जिसको माल की बिक्री की गयी का नाम व पता	व्यापारी का टिन	माल का विवरण	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक	माल वापसी की मात्रा/माप	माल वापसी की धनराशि	माल वापसी से संबंधित कर की धनराशि	माल वापसी की प्राप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट – छब्बीस-ख
जारी किये गये क्रेडिट नोट की सूची

अनुलग्नक XIII

सं०	खरीददार व्यापारी का नाम व पता जिसे क्रेडिट नोट जारी किये गये	खरीददार व्यापारी का टिन	क्रेडिट नोट की संख्या व दिनांक	माल का नाम	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक जिससे माल संबंधित हो	टैक्स/सेल इन्वाइस की कर रहित धनराशि	क्रेडिट नोट की टैक्स रहित धनराशि	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
यू0पी0 वैट- छब्बीस-ख

अनुलग्नक XIV

निम्न प्रारूप में खरीद की सूची प्रस्तुत करना, यदि टैक्स पीरियड के रूपपत्र के साथ संलग्न न की गयी हो अथवा यदि खरीद में कोई अन्तर हो, वैट गुड्स नान वैट गुड्स एवं करमुक्त माल की सूचियां अलग-अलग प्रस्तुत की जाएगी (प्रान्त के अन्दर, प्रान्त के बाहर और देश के बाहर अलग-अलग)

क्र० सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	विक्रेता व्यापारी का टिन	टैक्स/सेल इन्वाइस की संख्या व दिनांक	सेल इन्वाइस में मात्रा/नाप	माल का कर रहित मूल्य	अदा किया गया कर अथवा पंजीकृत व्यापारी को देय कर	योग
1	2	3	4	5	6	7	
1-							
2-							
3-							
4-							

फार्म पैतालीस से **19.** उक्त नियमावली में फार्म चौवालीस के पश्चात् निम्नलिखित फार्म बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-
उनचास का बढ़ाया जाना

प्रपत्र—पैतालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
 (मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-70 के उपनियम-1 को देखें)
हकदारी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

कमिश्नर वाणिज्य कर.
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

महोदय,

मैं-----पुत्र / पुत्री / पत्नी -----

प्रास्थिति-----

सर्वश्री.....एतद द्वारा
व्यापार के विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत करता है।

[illegible][illegible]

3-	मुख्य व्यापार स्थल/डिपो/शाखा/गोदाम/निर्माण स्थल(प्रान्त/प्रान्त बाहर)	
	विवरण	पता
क-	मुख्य व्यापार स्थल का पता	
ख-	शाखा/ गोदाम/डिपो आदि	
i		
ii		
iii		
iv		
ग-	निर्माण स्थल	

4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)					
	स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कम्पनी ☐	सोसाइटी ☐	
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपक्रम ☐	क्लब ☐	एसोसियेशन ☐	अन्य कोई		

5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक
i				
ii				
iii				
iv				
v				

6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी		
क्र० सं०	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण			
क्र० सं०	विवरण	विवरण		
i	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि			
ii	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि		से	तक
iii	स्थाई पूँजी निवेश की धनराशि			
iv	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी है अनुमन्य स्थायी पूँजी निवेश			
v	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि			
vi	दि० 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी, से संबंधित उपभोग की गयी धनराशि			
vii	दि० 01.01.08 को अवशेष करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की धनराशि			
viii	दि० 01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की अवधि			
ix	दि० 01.01.08 को अवशेष उपभोग हेतु छूट की अवधि			
x	नोटिफिकेशन सं० एवं दि० जिसके अंतर्गत करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी स्वीकृत की गयी			
xi	पात्रता प्रमाण पत्र के संख्या एवं दिनांक यदि जारी हो			
xii	ऐसे मामले जिसमें छूट की सुविधा पात्रता प्रमाण पत्र पर आधारित नहीं हो, तो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक			
xiii	यदि छूट की सुविधा भविष्य के पूँजी निवेश पर आधारित हो एवं उक्त निवेश की अवधि अवशेष हो, ऐसी स्थिति में निवेश की अवधि अंकित करें			
xiv	यदि छूट की सुविधा केवल अवधि पर निर्भर हो नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक (नोटिफिकेशन की सत्यापित प्रति संलग्न करें)			

8-	इकाई में उत्पादित वस्तुओं का विवरण		
S.N.	इकाई में उत्पादित वस्तुओं का नाम	पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं का नाम(यदि पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, तो लागू नहीं है अंकित करें)	उत्पादन प्रारम्भ का दिनांक
i			
ii			
iii			
iv			
v			
vi			
vii			
viii			
ix			
x			
xi			

9(क)	दि० 01.01.08 के पूर्व करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का लाभ प्रारम्भ के पश्चात तलाशी, जॉच/लेखा पुस्तकों अथवा माल के अभिग्रहण का विवरण		
ख	तलाशी/जॉच/अभिग्रहण का दिनांक	अधिकारी का नाम जिसने तलाशी/अभिग्रहण की कार्यवाही की	परिणाम
क-			
ख.			
ग.			

ग-	निर्माण स्थल	

4-	व्यवहारी का संविधान (कृपया सही बाक्स में निशान लगाये)					
	स्वामित्व ☐	साझेदारी ☐	हिन्दू अविभाजित परिवार ☐	कम्पनी ☐	सोसाइटी ☐	
	राज्य या केन्द्रीय सरकार का उपक्रम ☐	क्लब ☐	एसोसियेशन ☐	अन्य कोई		

5-	साझेदार/स्वामी/डायरेक्टर/कर्ता/ट्रस्टी/मुख्याधिकारी, आदि का नाम व पता			
	नाम व पता	प्रास्थिति	कहाँ से	कहाँ तक
i				
ii				
iii				
iv				
v				

6-	बैंक खाते का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी		
क्र० सं०	शाखा का नाम व पता	खाते का प्रकार	खाता संख्या
i			
ii			
iii			
iv			

7-	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी का विवरण			
क्र० सं०	विवरण	औद्योगिक इकाई द्वारा घोषित	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणित	यदि कोई भिन्नता हो तो (अलग शीट पर स्पष्ट करें)
i.	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा, प्राप्ति के प्रारम्भ की तिथि			
ii.	कर मुक्ति अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि	से तक	से तक	
iii.	स्थायी पूँजी निवेश			
iv.	करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी हेतु अनुमन्य स्थाई पूँजी निवेश			
v.	छूट की धनराशि			
vi.	छूट की अवधि			
vii.	01.01.08 के पूर्व उपभोग की गयी छूट की धनराशि			
viii.	01.01.08 को अवशेष छूट की धनराशि			
ix.	01.01.08 को अवशेष छूट की अवधि			
x.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी जाँच की तिथि(यदि कोई हो)			
xi.	तलाशी/सर्वेक्षण की तिथि(यदि कोई हो)			
xii.	लेखापुस्तकों के अभिग्रहण की तिथि(यदि कोई हो)			
xiii.	माल के अभिग्रहण की तिथि(यदि कोई हो)			
xiv.	तलाशी/सर्वेक्षण का परिणाम			

ख-	निर्माण स्थल	1-	
		2-	
		3-	
4-	उत्पादित वस्तुओं का विवरण		
	क्र०सं०	उत्पादित वस्तुओं का नाम	
	i		
	ii		
	iii		
	iv		
	v		
	vi		
	vii		
	viii		
	ix		
	x		
5-	हकदारी की अवधि	01.01.2008 से	तक
6-	हकदारी वापसी की धनराशि		

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ०प्र०

फार्म-अडतालीस
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
(उ०प्र० मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-70 के उपनियम-11 को देखें)
शुद्ध देय कर का विवरण

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व
पता.....
- 2-करदाता पहचान संख्या [TIN]
.....

3-प्रान्त के अंदर करअवधि के दौरान उत्पादित वैट वस्तुओं के बिक्री पर देयकर की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिक्री मूल्य	कर की दर	कर की राशि
i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

4- करअवधि में उत्पादित वैट वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान बिक्री पर देयकर की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	बिक्री मूल्य	कर की दर	कर की राशि
----------	--------------	----------------	--------------	----------	------------

i					
ii					
iii					
iv					
v					
vi					
vii					
viii					
	योग				

5- वैट वस्तुओं के निर्माण / प्रसंस्करण / पैकिंग में प्रयुक्त वस्तुओं की टैक्स पीरियड के दौरान प्रान्तीय बिक्री पर आईटी0सी की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कर्य मूल्य (कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा / देय	राज्य सरकार को भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
vi								
vii								
viii								
	योग							

6- अन्तर्प्रान्तीय वाणिज्य एवं व्यापार के दौरान वैट वस्तुओं के निर्माण / प्रसंस्करण / पैकिंग के लिए प्रयुक्त वैट वस्तुओं की करअवधि के दौरान बिक्री पर आईटी0सी की गणना

क्र० सं०	वस्तु का नाम	मात्रा एवं माप	कर्य मूल्य (कर को छोड़कर)		कर की दर	कर की राशि		योग
			पंजीकृत व्यवहारी से	पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति से		पंजीकृत व्यापारी द्वारा जमा / देय	पंजीकृत व्यवहारी से	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i								
ii								
iii								
iv								
v								
	योग							

7क- पूर्ण करमुक्ति के मामले में शुद्ध देयकर

क्र०सं०	विवरण	यू0पी0 वैट	केन्द्रीय बिक्री कर
1-	देय कर		
2-	आईटी0सी		
3-	शुद्ध देयकर		

7ख- औषिक छूट के मामलों में शुद्ध देयकर

क्र०सं०	विवरण	यू0पी0 वैट	केन्द्रीय बिक्री कर
1-	देय कर		
2-	आईटी0सी		

3-	शुद्ध देयकर(7क के अनुसार)		
4-	निरसित अधिनियम के अंतर्गत छूट की प्रतिशत दर		
5-	क0सं0 7ख(4)में ऑशिक अन्तर की धनराशि		
6-	शुद्ध देयकर		

8- करमुक्ति अथवा कर की दर में कमी की अवशेष धनराशि

हकदारी प्रमाण पत्र की धनराशि	माह में कटौती की धनराशि	माह तक प्रगयात्मक कटौती की धनराशि	माह के अन्त में अवशेष धनराशि
1	2	3	4

9- वापसी/अग्रेनित की धनराशि.....

10- कर अवधि के अन्त में छूट/डिफर्मेंट के लिए अवशेष उपलब्ध धनराशि.....

घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी -----

प्रास्थिति..... अर्थात (स्वामी, निदेशक, साझेदार आदि जैसा नियम-32(6) में प्राविधानित है)

एतद द्वारा घोषणा सत्यापित करता हूँ कि दिये गये विवरण एवं ऑकडे मेरे विश्वास एवं जानकारी में सत्य एवं पूर्ण हैं तथा मेरे द्वारा जानबूझकर न तो अनदेखा किया गया है न तो छिपाया गया है न तो कहा गया है

दिनांक साझीदार/ स्वामी/कर्ता आदि के नाम व पता

स्थान

प्रास्थिति

व्यापारी का नाम

करदाता पहचान संख्या(TIN).....

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही प्रार्थना पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा।

फार्म-उनचास

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-50क को देखें)

सेवा में,

डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर,

गाजियाबाद/लखनऊ

महोदय,

मैं----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....

निवासी-----

----- प्रास्थिति ----- (विदेशी डिप्लोमेटिक मिशन, कन्सुलेट, संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य कोई समतुल्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान अथवा कन्सुलर अथवा किसी मिशन का डिप्लोमेटिक एजेण्ट, संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य कोई संस्थान जैसा कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-6 में प्रदत्त है, के नाम अंकित है) देय वैट वाली वस्तुओं की खरीद रु0/- एवं रु0/ ----- मूल्य संबंधित कर का भुगतान संलग्न सूची में अंकित व्यापारियों को किया है एवं रु0/-..... धनराशि वापसी का हकदार हूँ। -----

अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली, 2008 के नियम-50क के प्राविधानों के अनुसार रु0/- ----- की धनराशि वापस करने की कृपा करें।

बैंक का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी

बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार
1	2	3	4

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर,
विदेशी डिप्लोमेटिक मिशन अथवा
कन्सुलेट का नाम एवं पता

कर सूची						
क्र० सं०	विक्रेता का नाम	टिन नम्बर	कर बीजक की क्रम संख्या	बीजक का दिनांक	वस्तु का मूल्य	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर,

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव।